

विधान परिषदों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व
TEACHERS' REPRESENTATION IN
LEGISLATIVE COUNCILS



सत्यमेव जयते

विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार
बोर्ड की रिपोर्ट

REPORT OF THE CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION
(CABE) COMMITTEE ON TEACHERS' REPRESENTATION IN
LEGISLATIVE COUNCILS

NIEPA DC



D09480

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(शिक्षा विभाग)
(Department of Education)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
Shastri Bhawan, New Delhi

1992

UNCLASSIFIED
National Security Council
Planning and Policy Staff
1700 Massachusetts Ave.
New Delhi-110016
DOC, No. D-9460
Date 06-03-97

विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार
बोर्ड समिति

वीरप्पा मोड्ली
शिक्षा मंत्री, कर्नाटक
तथा अध्यक्ष ।

नई दिल्ली
जुलाई, 1992

प्रिय श्री अर्जुन सिंह,

मुझे, विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट आपको प्रदान करते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है। विधान परिषद वाले राज्यों में प्राइमरी शिक्षकों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न 1964-65 से ही चर्चा का विषय रहा है। तमिलनाडु शिक्षक संघ द्वारा दिए गए एक अभ्यावेदन पर, याचिकाओं पर राज्य सभा की समिति ने अपनी 90 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि विधान परिषदों में प्राइमरी शिक्षकों को मत देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। समिति ने, विधान परिषदों में, प्रारंभिक शिक्षकों को मताधिकार देने के प्रश्न पर व्यापक परिप्रेक्ष्य जांच की। विधान परिषदों में, शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान बनाए जाने के तर्क और विचार-धारा को समझने के लिए इसने संविधान सभा की कार्यवाही की भी जांच की। इसने समय-समय पर राज्य सरकारों के विचारों के साथ-साथ तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त करने के लिए राज्य सभाओं/संसद की कार्यवाहियों की भी जांच की। समिति की रिपोर्ट पूर्ण रूप से मामलों की जांच पर आधारित है।

हम, सदस्य-सचिव प्रोफेसर जे० एस० राजपूत तथा विशेषकर उनके साथियों, श्री यू० के० सिन्हा, निदेशक, तथा श्री डी० पी० भटनागर, डेस्क अधिकारी तथा उनके निजी स्टाफ अर्थात् श्री एन० ए० गणेशन, रविन्द्र सिंह तथा कुमारी बीना परचानी द्वारा किए गए सुनियोजित कार्य की तहदिल से प्रशंसा करते हुए उसे रिकार्ड में रखना चाहते हैं। इस दल द्वारा किए कठिन कार्य से ही समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकी है।

वीरप्पा मोड्ली,
अध्यक्ष, विधान परिषदों में शिक्षकों के
प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
समिति

श्री अर्जुन सिंह,
मानव संसाधन विकास मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
समिति के सदस्य

अध्यक्ष

श्री वीरप्पा मोडली
शिक्षा मंत्री
कर्नाटक

सदस्य

श्री अनंत राव थोपटे,
शिक्षा मंत्री
महाराष्ट्र ।

सदस्य-सचिव

प्रो० जे० एस० राजपूत
संयुक्त शिक्षा सलाहकार
(प्रारम्भिक शिक्षा)
शिक्षा विभाग

श्री शिव प्रताप शुक्ला
राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
बैंगलूर तथा प्रौढ शिक्षा
उत्तर प्रदेश

डा० राम चन्द्र पूर्वे
मंत्री (एस०ई० तथा पी०ई०)
बिहार ।

स्थायी आमंत्रित व्यक्ति
शिक्षा सचिव
निदेशक, नीप

श्री पी० वी० रंगाराव
शिक्षा राज्य मंत्री
आंध्र प्रदेश

श्री बी०एल० माथुरिया
संयुक्त सचिव, विधि तथा न्याय मंत्रालय
नई दिल्ली

श्री निखिल चक्रवर्ती
सम्पादक, मेनस्ट्रीम, नई दिल्ली ।

डा० (श्रीमती) सरस्वती स्वैन,
कल्याण नगर, कटक ।

प्रो० मूनिस रजा,
अध्यक्ष, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद,
नई दिल्ली ।

डा० के० एल० चोपड़ा, निदेशक,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
खड़गपुर ।

विषय वस्तु

अध्याय	पृष्ठ संख्या
I—प्रस्तावना	1- 2
II--प्रणाली विज्ञान तथा प्रक्रिया	3- 8
III--विधान परिषदों पर संविधान सभा में हुई बहसों का मूल्यांकन	9- 13
IV--तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में विधान परिषदें भंग करने से संबंधित संसदीय कार्यवाहियां।	14- 15
V--राज्य सरकारों तथा चुनाव आयोग के विचार	16- 17
VI--निष्कर्ष और सिफारिशें	18- 19
अनुबंध : केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन के आदेश	20- 21
परिशिष्ट I--अनुच्छेद 171	22
परिशिष्ट II --मंत्रिमंडल के निर्णय का इतिहास	23- 24
परिशिष्ट III--राज्यों की विधान सभाओं में सीटों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	25
परिशिष्ट IV--राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर व्यक्त किए गए विचारों को दर्शाने वाला विवरण।	26
परिशिष्ट V--दिनांक 30-9-89 तक प्रबंधकों द्वारा दी गई शिक्षकों की संख्या और प्रतिशतता	27
परिशिष्ट VI--समिति का सचिवालय	28

अध्याय-I

प्रस्तावना

भारत के संविधान में विधान परिषदों के संरूपण में, शिक्षकों को अत्यधिक विशेष स्थान दिया गया है। किसी अन्य व्यवसाय को अलग में अपना निर्वाचन क्षेत्र बनाने के अवसर नहीं हैं। जबकि परिषदों में, साहित्य, विज्ञान, कला सहयोग आन्दोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र का ज्ञान अथवा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नामित करने का प्रावधान बनाया गया है। एक निर्वाचन क्षेत्र का सृजन कम से कम माध्यमिक स्कूल जैसी संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के लिए किया गया है। इससे ज्ञात हो जाता है कि संविधान के निर्माताओं द्वारा शिक्षकों को कितना अधिक महत्त्व दिया गया है तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनकी जिस भूमिका की आशा रखी गई है उसे भी स्पष्ट किया गया है।

2. तथापि, संविधान के निर्माण के समय भी इस विषय में यह मतभेद था कि शिक्षकों को ही विशेष अधिमान्यता क्यों दी जानी चाहिए और यदि ऐसा प्रावधान आवश्यक रूप से किया जाना ही है तो प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों अथवा माध्यमिक और उससे अधिक स्तर के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के बीच अन्तर क्यों किया जाना चाहिए। इस प्रकार से समय-समय पर संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (ग) में संशोधन करने के लिए दो तरह की राय रखी है अर्थात् :—

(क) एक साथ शिक्षकों के चुनाव क्षेत्रों को समाप्त कर दिया जाए।

(ख) इसे इस तरह से बढ़ाया जाए ताकि इसमें प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (ग) के उपबंधों की एक प्रति परिशिष्ट 1 में दी गई है।

3. शिक्षा से संबंधित मामलों में भारत सरकार का उच्चतम सलाहकार निकाय, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी० ए०बी०ई०) ने अक्टूबर, 1964 में आयोजित अपनी बैठक में इस विषय पर चर्चा की तथा उसी समय यह सिफारिश भी की कि अध्यापकों के निर्वाचन-क्षेत्र पूर्ण रूप से समाप्त होने चाहिए। जून, 1965 में आयोजित राज्य-शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस सिफारिश को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। लेकिन बाद में, समय-समय पर कुछ राज्य सरकारों तथा प्रारंभिक स्कूल शिक्षक संगठनों ने मांग की कि प्रारंभिक स्कूल-शिक्षकों को वोट का अधिकार दिया जाए। 1957 से 1979 के बीच इस विषय पर केन्द्र सरकार में 7 बार विचार किया गया परन्तु यथापूर्व स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। फरवरी 1979 में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया कि यथापूर्व स्थिति ही बनी रहनी चाहिए। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों का कालक्रम परिशिष्ट-II पर दिया गया है।

4. तमिलनाडु शिक्षक संघ के महामंचिव श्री मुयुस्वामी तथा दो अन्य शिक्षकों ने, देश में शिक्षकों के वेतन तथा सेवा-दशाओं के संबंध में 10-5-1983 को राज्य सभा में एक याचिका दायर की। याचिका-दाताओं द्वारा किए गए निवेदनों में से एक निवेदन निम्नवत है :—

“ शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों को राज्य-विधान परिषदों के चुनावों में वोट का अधिकार प्रदान करने संबंधी, संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (सी०) का संशोधन।”

5. राज्य सभा याचिका समिति ने इस विभाग की टिप्पणियां प्राप्त कीं तथा याचिका-दाताओं, विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों, विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा भारत सरकार आदि से मौखिक साक्ष्य लिए। मानव संसाधन-विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष, इस समिति के विचार-विमर्श के प्रारंभिक स्तर पर 19-4-1984 को तथा दुबारा इसके समापन-स्तर पर 10-7-1986 को दो बार मौखिक साक्ष्य दिया।

6. समिति ने याचिका पर अपनी रिपोर्ट (90 वीं रिपोर्ट) 30-7-1986 को सभा पटल पर प्रस्तुत की। रिपोर्ट का सारांश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :—

“जिन राज्यों में शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र हैं, उनमें शिक्षकों को मताधिकार देने के उद्देश्य के लिए प्रारंभिक/प्राथमिक/मिडिल आदि स्कूल शिक्षकों तथा हाई/हायर सेकेंडरी/यूनिवर्सिटी स्तर के शिक्षक के बीच कोई अन्तर नहीं होना चाहिए।”

7. विधि मंत्रालय ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा जम्मू व कश्मीर राज्य सरकारों से, विधान परिषदें रखने के लिए उनके विचार पूछे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी यह मामला विधि मंत्रालय के साथ उठाया है।

8. विधि मंत्रालय ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस संबंध में यह परामर्श दिया है कि इस संबंध में केन्द्र सरकार के नए निर्णय प्राप्त करने के प्रयास से पूर्व, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष उनकी सलाह लेने के लिए, प्रस्तुत करें। तदनुसार इस मामले को, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 8-9 मार्च, 1991 को आयोजित बैठक में रखा गया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर विचार करने के लिए कई कार्यदल गठित किए। बैठक के मुख्य सार के संगत भागों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :--

प्रारंभिक शिक्षा कार्यदल के अधिकतर सदस्यों ने यह अनुभव किया है कि इस मामले पर गहन एवं व्यापक विचार करना अपेक्षित है। कार्यदल ने दनुसार यह सुझाव दिया कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शीघ्र ही एक समिति गठित करे, जो इस विषय के सभी पहलुओं की जांच करेगी तथा बोर्ड के विचार-विमर्श हेतु अपनी सिफारिशें तैयार करेगी।

9. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 8-9 मार्च, 1991 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार ने विधान परिषदों में शिक्षक प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति का गठन किया है। यह दस्तावेज, समिति की एक रिपोर्ट है।

प्रणाली विज्ञान तथा प्रक्रिया

विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के मामले की जांच करने के लिए सरकारी आदेश संख्या एफ-3-11/91-पी० एन० 1 के अनुसार 10-2-1992 को एक समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री श्री वीरना मोहली तथा नौ अन्य सदस्य थे (समिति के गठन संबंधी आदेश की एक प्रति परिशिष्ट पर दी गई है)। संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं :—

- (क) यह जांच करने के लिए कि क्या विधान परिषद चुनावों में शिक्षकों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में वर्तमान व्यवस्था के प्रतिनिधित्व किसी भी तरह से वांछनीय है,
- (ख) यदि ऐसा है, तो क्या यथापूर्व स्थिति जारी रखी जानी चाहिए या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षकों को शामिल करने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन किया जाए।

सरकारी आदेश में यह परिकल्पना की गई है कि समिति अपनी प्रक्रिया तथा कार्य पद्धति का स्वयं ही निर्धारण करेगी।

2. 13-3-1992 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी पहली बैठक में समिति ने स्वयं को सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा पद्धति पर विचार-विमर्श किया। इस बात को स्वीकार किया गया कि यद्यपि सामग्री बहुतायत में उपलब्ध है फिर भी इस मामले में निर्णय लेने के लिए विभिन्न आवश्यक तत्वों का प्रणालीबद्ध अध्ययन अपेक्षित है। समिति को उपलब्ध सामग्री का गहन अध्ययन करना चाहिए तथा वैधानिक तथा संवैधानिक पहलुओं की जांच करनी चाहिए। समिति ने विधान परिषदों के सृजन की युक्तिसंगतता तथा शिक्षकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के निर्माण के महत्वपूर्ण तत्वों की जांच करने का फैसला किया है। इस जांच में संवैधानिक सभा की कार्रवाइयों तथा इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित सामग्री का आलोचनात्मक अध्ययन भी शामिल होगा। यह नोट किया गया है कि यद्यपि जिन चार राज्यों में वैधानिक परिषदें कार्यरत हैं, उन्होंने इस संबंध में अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं लेकिन उन राज्यों से पुनः अनुरोध किया गया है कि वे अपनी टिप्पणियां भेजें ताकि यदि इस विषय में उनके कुछ पुनर्विचार हों तो समिति उन पर भी विचार कर सकेगी। विशेष रूप से ऐसा करना इसलिए भी जरूरी समझा गया है क्योंकि इन राज्यों ने विभिन्न समय बिन्दुओं पर भिन्न-भिन्न सिफारिशें भेजी हैं।

3. अन्य जिन राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं उनकी राय लेना, न केवल इसलिए जरूरी है कि यह विषय सार्वजनिक महत्व का है अपितु इसलिए भी जरूरी है कि कुछ अन्य राज्यों में पहले विधान परिषदें विद्यमान थीं लेकिन अब उन्हें समाप्त कर दिया गया है। विधान परिषदों की समाप्ति के विषय में विभिन्न सभाओं तथा संसद में किए गए विचार-विमर्श, समिति के समक्ष रखे जाने वाले विषय की अध्ययन सामग्री का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। इन विचारों को प्राप्त किया जाए तथा समिति के समक्ष रखा जाए। समिति का यह भी विचार है कि जब यह मामला केन्द्र सरकार के विचार-धीन था उस समय चुनाव आयोग, विधि मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न समय बिन्दुओं पर व्यक्त किए गए विचार तथा राय से इस संबंध में लाभ मिलेगा।

4. जम्मू व कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें विधान-परिषद तो है लेकिन शिक्षकों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। समिति, जम्मू व कश्मीर में ऐसी व्यवस्था के कारणों का अध्ययन करना चाहती है तथा इस उद्देश्य के लिए, जम्मू व कश्मीर की संवैधानिक सभा की कार्रवाइयां यदि उपलब्ध हो सके, तो सहायक सिद्ध होंगी।

विधान परिषदों में शिक्षक प्रतिनिधि मंडल समिति का सचिवालय

1. प्रो० जे०एस० राजपूत
संयुक्त शिक्षा सलाहकार
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
2. श्री यू०के० सिन्हा
निदेशक
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
3. श्री डी०पी० भटनागर,
डैस्क अधिकारी
शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
4. श्री एन० ए० गणेशन,
निजी सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
5. श्री रविन्द्र सिंह,
निजी सहायक, शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
6. सुश्री वीणा परचानी,
आशुलिपिक
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

समिति ने इस बैठक में यह नोट किया कि लगभग 90 प्रतिशत शिक्षक सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें अब तक इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है जबकि इस प्रावधान का वास्तविक लाभ केवल उन लोगों को मिला है जो शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं थे। बैठक में यह सुझाव दिया गया कि समिति इस निर्वाचन क्षेत्र से परिषदों में जन-प्रतिनिधित्व की भूमिका का अध्ययन करे तथा इसके लिए लगभग 20 वर्ष की अवधि का निर्धारण करें ।

5. समिति के समक्ष यह मामला भी उठाया गया कि चूंकि यह याचिका तमिलनाडु शिक्षक संघ द्वारा राज्य सभा की याचिका समिति के समक्ष रखा गया था जहां विधान परिषद का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है तो समिति को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या याचिका दायर करने वाले यह मांग समूचे देश के शिक्षकों की ओर से कर रहे थे या केवल तमिलनाडु के शिक्षकों की ही ओर से की गई थी ।

अतः यह निर्णय लिया गया कि :

- (क) सभी राज्य सरकारों को लिखा जाए कि क्या उनके पास विधान-परिषदें हैं अथवा नहीं ? इस मद्दे पर उनका मौजूदा दृष्टिकोण संसूचित किया जाए क्योंकि मामला काफी पेचीदा है ।
- (ख) (क.) याचिका संबंधी राज्य सभा समिति की 90 वीं रिपोर्ट की प्रति, (ख.) शिक्षकों को वोट देने के अधिकार के

बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 (3) के अन्तर्गत अपनाई गई संबंधित कार्यवाहियां और (ग) राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सारणीबद्ध रूप में अभिव्यक्त किए गए विचारों की प्रति समिति के सदस्यों को परिचालित की जाए।

- (ग) जहां विधान परिषदें समाप्त कर दी गई हैं वहां उन राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त करने से संबंधित विधान सभाओं/संसद की कार्यवाहियों को समिति के सदस्यों को भी उच्चलब्ध कराया जाए।
- (घ) जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि विधान परिषद में शिक्षकों को अलग में प्रतिनिधित्व न दिया जाए, से संबंधित कार्यवाही की प्रतियां समिति में भाग लेने वालों को भी उपलब्ध कराई जायें।
- (ङ) पिछले बीस वर्षों के दौरान विधान परिषदों में शिक्षक जन प्रतिनिधित्व की पूरी भूमिका प्राप्त की जाए।
- (च) तमिलनाडु शिक्षक परिषद को मौलिक याचिका की बारीकी से जांच पड़ताल की जाए कि क्या वे केवल तमिलनाडु के शिक्षकों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा समूचे देश के शिक्षकों का।

6. समिति इस तथ्य से सजग थी कि उसे अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर ही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। अतः यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न राज्यों/एजेंसियों को अपना विचार देने के लिए उन्हें विशेष समय दिया जाना चाहिए। यदि उनके विचार निर्धारित समय में नहीं प्राप्त होते हैं तो समिति इससे पहले की प्रा-न सूचनाओं तथा दृष्टिकोणों के आधार पर अगली कार्यवाही कर सकती है।

7. इस मुद्दे को सभी राज्य सरकारों से तीन सप्ताह के भीतर उनके नए दृष्टिकोणों को प्राप्त करने के लिए उठाया गया कि, क्या

- (i) विधान परिषदों में अलग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में मौजूदा प्रावधान को बनाए रखना सर्वथा वांछनीय है,
- (ii) यथास्थिति को कायम रखा जाए अथवा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षकों को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए।

8. रिपोर्ट लिखने के समय तक नौ राज्यों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तर नीचे दिए गए हैं :—

हरियाणा :

राज्य सरकार ने कहा है कि विधान परिषदों में अलग से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मौजूदा प्रावधान को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं।

- (i) संविधान में विधान परिषदों में शिक्षकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया होगा कि बुद्धिजीवियों को विधान परिषदों में प्रतिष्ठापित किया जा सके क्योंकि बुद्धिजीवी चुनाव लड़ने में संकोच कर सकते हैं। इन प्रावधानों का उस समय कुछ महत्व रहा होगा किन्तु अब 40 वर्षों के पश्चात देश तथा शिक्षा व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है।
- (ii) अलग से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखने तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर से भी कम स्तर के शिक्षकों को शामिल करने का परिणाम यह होगा कि राजनीति में शिक्षकों की भागीदारी का क्षेत्र बढ़ेगा तथा शैक्षिक संस्थान से लेकर प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा का शैक्षिक वातावरण दूषित होगा। शिक्षकों में यह धारणा है कि वे भी कालेज/विश्वविद्यालय स्तर की राजनीति में शामिल हों और अब यह विचार करना आवश्यक हो गया है कि क्या शिक्षक वर्ग की इस प्रवृत्ति को धीरे धीरे बढ़ने दिया जाए अथवा नियन्त्रित किया जाये और शिक्षकों की भूमिका को शिक्षण तक ही सीमित रखा जाए। शिक्षकों को राजनीति से दूर रखने के लिए यह वांछनीय है कि विधान परिषदों में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों को तुरन्त समाप्त किया जाए।
- (iii) शिक्षा का प्रसार होने के कारण अन्य वर्ग के बुद्धिजीवी जैसे डाक्टर, इंजीनियर, वकील आदि जिनकी संख्या काफी अधिक है, वे भी अलग से निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करने लगेंगे।

- (iv) वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 171 (ख) में स्नातकों के लिए विधान परिषदों में अलग निर्वाचन क्षेत्रों के जो प्रावधान किए गए हैं उसमें शिक्षकों सहित सभी बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हैं। इस प्रकार विधान परिषदों में अलग से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हिमाचल प्रदेश :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(3) (ग) के अन्तर्गत यथास्थिति को बनाए रखा जाए तथा प्राइमरी स्कूल शिक्षकों को वोट देने के अधिकार में बढ़ोतरी करने का कोई तर्क नहीं है।

अरुणाचल प्रदेश :

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि (क) विधान परिषदों में अलग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में मौजूदा प्रावधान को बनाए रखना वांछनीय है (ख) शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के लिये शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में सभी स्तर के शिक्षकों में भेदभाव किए बिना यथास्थिति बनाए रखी जाए।

उड़ीसा :

चूंकि राज्य में विधान परिषद नहीं है इसलिए इसमें प्रस्ताव के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

त्रिपुरा :

चूंकि राज्य में विधान परिषद नहीं है इसलिए प्रस्ताव के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

बिहार :

राज्य सरकार की राय है कि विधान परिषद में शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को भी मताधिकार दिया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र :

राज्य सरकार, अभी भी, अपने पहले भेजे गए विचारों से सहमत है। तथापि, उसने निम्नलिखित और कहा है :—

“चूंकि एक समिति गठित की जा चुकी है और वह इस मुद्दे की गहराई में जांच करना चाहेगी, हम निम्नलिखित, अतिरिक्त टिप्पणियां, आपके विचारार्थ, जोड़ रहे हैं : उच्च सदन (विधान परिषदें) केवल पांच राज्यों में ही विद्यमान हैं। अतः, भिन्न-भिन्न स्तरों पर कार्यरत स्कूल शिक्षकों में भेदभाव दूर करने के लिए, क्या संवैधानिक संशोधन के लिए पहल की जानी चाहिए, यह मामला, भारत सरकार द्वारा इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि क्या ये राज्य, उच्च सदन को बनाए रखने के इच्छुक हैं, विचार करने योग्य है। तथापि, इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा प्रावधानों में, उन शिक्षकों में जो अर्हता प्राप्त हैं, उनमें से कुछ माध्यमिक स्कूलों में प्राथमिक स्तरों पर शिक्षण कर रहे हैं और अन्य जो ऐसे स्कूलों में शिक्षण कर रहे हैं, जो अपने आप में केवल प्राथमिक स्कूल हैं, के बीच भेदभाव करते हैं। मतदाता-अर्हताओं का स्तर, सामान्यतया, इन दोनों मामलों में एक समान होगा, अतः यह सच है कि यहां कुछ भेदभाव है। ऐसे शैक्षिक संस्थान, दर्जे में माध्यमिक स्कूलों से कम नहीं हैं, जिनका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (ग) में किया गया है और चुनाव आयोग ने जिनका विशेष वर्णन किया है, जहां तक इस राज्य का संबंध है, जन प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1950 के खण्ड 27(3) (ख) के अन्तर्गत और जबकि महाराष्ट्र राज्य में सभी प्राथमिक स्कूलों को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली, इस बात का विचार किए बिना कि चाहे स्कूल निजी है अथवा पब्लिक एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे हैं, भी, वम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1947 के खण्ड 2 (2) में “स्वीकृत स्कूलों” की परिभाषा में सुनिश्चित है और अधिनियम के खण्ड 39 में भी यही अर्थ है, अतः इस राज्य में, ऐसे प्राथमिक शैक्षिक संस्थानों के शिक्षकों को शामिल करने के लिए, शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्र में, नामांकन के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने में, कोई कठिनाई नहीं

होगी। यह नोट किया जाए कि चूंकि माँटेमरी शिक्षण और पहली कक्षा में नीचे के स्तर का शिक्षण, दम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1947 में शामिल नहीं है। यदि "प्राथमिक" अथवा "प्रारम्भिक" स्कूलों को शामिल करने के लिए, कोई संवैधानिक संशोधन किया जाता है, तो भी ऐसे संस्थानों के शिक्षक, निर्वाचक सूची में शामिल किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।"

यह कहना अनावश्यक नहीं है कि यदि संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं तो उसके बाद, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के खण्ड 27 (3) (ख) में भी अनुकूल/अनुरूप संशोधन अनिवार्य होंगे।

राजस्थान :

राज्य सरकार ने, विधान परिषदों में प्रारम्भिक स्कूल शिक्षकों को शामिल करने के लिए, संविधान में संशोधन की सिफारिश की है।

सिक्किम :

चूंकि राज्य सरकार के पास कोई विधान परिषद नहीं है, इस मामले में उसके कोई विचार नहीं है।

अतः, 9 राज्य सरकारों में से, जिनसे अभी तक उत्तर प्राप्त हुए हैं, 3 राज्य (अर्थात् बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र) विधान परिषदों में प्रारम्भिक स्कूल शिक्षकों के मताधिकार को शामिल करने के लिए, संविधान में संशोधन के पक्ष में हैं, 2 राज्यों (अर्थात् हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश) ने यथास्थिति की सिफारिश की है, जबकि 3 राज्यों (अर्थात् उड़ीसा, सिक्किम और त्रिपुरा) ने टिप्पणियां पेश नहीं की हैं और हरियाणा सरकार ने कहा है कि वर्तमान प्रावधान को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. यह मामला, संसद पुस्तकालय के साथ उठाया गया था और उनसे अनुरोध किया था कि संविधान के अनुच्छेद 171 के अधीन बनाए गए प्रावधानों के संबंध में संसद/संविधान सभा की कार्यवाहियों के संबंधित उद्धरण जुटा दें और वे उद्धरण वहां से प्राप्त कर लिए गए थे।

9. संसद पुस्तकालय से, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां भी, समिति के विचारार्थ, जुटा देने का अनुरोध किया गया था :—

- (i) पंजाब, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में विधान परिषदों के समापन में प्रमुख संसद/राज्य सभाओं की कार्यवाहियां;
- (ii) चूंकि जम्मू व कश्मीर का पृथक् संविधान है, राज्य की संविधान-सभा की कार्यवाहियां कि शिक्षकों को कोई मताधिकार क्यों नहीं दिए गए।

10. आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में विधान परिषदों के समापन से संबंधित संसद की कार्यवाहियां भी प्राप्त कर ली गई थीं और समिति के समक्ष रख दी गई थीं। विधान परिषदों के समापन से संबंधित कार्यवाहियां और जम्मू व कश्मीर संविधान सभा की कार्यवाहियां उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं।

11. विधि मंत्रालय से उपर्युक्त दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। विधि मंत्रालय ने सूचित किया है कि संसद की बहसों से सम्बन्धित सभी रिकार्ड मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों की विधान परिषदों को समाप्त करने से सम्बन्धित संसद की कार्यवाहियां, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती हैं। तदनुसार, ये, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय से प्राप्त की गईं और समिति के सदस्यों को वितरित की गईं।

12. यह मामला, चुनाव आयोग के साथ भी उठाया गया था और उनसे निम्नलिखित सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया था :

- (1) संविधान के अनुच्छेद 171(3) (ग) के अन्तर्गत पिछले 20 वर्षों के दौरान, विधान परिषदों के लिए चूने गए सदस्यों की शैक्षिक रूपरेखा (प्रोफाइल) का एक मूल्यांकन।

- (ii) संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (ग) के अन्तर्गत पिछले 20 वर्षों के दौरान चुने गए सदस्यों का व्यावसायिक स्तर। इससे माध्यमिक स्कूल शिक्षकों, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों, विश्वविद्यालयीय शिक्षकों इत्यादि की संख्या का पता चलेगा।
- (iii) अनुच्छेद 171 (3) (ग) के अन्तर्गत चुने गए सदस्यों की रूपरेखा (प्रोफाइल) में उनके व्यावसायिक स्तर के सम्बन्ध में समय के साथ-साथ क्या कोई परिवर्तन हुआ है।
- (iv) इससे सम्बन्धित अन्य कोई अपेक्षित सूचना।

चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि वे विधायिकाओं, संघ या राज्यों के चुने हुए सदस्यों की प्रोफाइल नहीं रखते हैं अतः, ऐसी सूचना मुहैया नहीं की जा सकती। उन्होंने, इस मामले में हमें राज्य सरकारों से भी सम्पर्क करने की सलाह दी है।

13. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधान परिषदों के सचिवों से अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। यह सूचना केवल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों से प्राप्त हुई है।

14. पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों से विधान परिषदों को समाप्त करने से सम्बन्धित राज्य विधान सभाओं की कार्यवाहियों की प्रतियां भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। विधान परिषदों को समाप्त करने से सम्बन्धित विधान सभाओं की कार्यवाहियों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से प्राप्त हो गई हैं।

15. उपर्युक्त सूचना प्राप्त करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर को लिखे हमारे पत्र के प्रत्युत्तर में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने जो कुछ भी पहले लिखा है, उसमें उन्हें और कुछ जोड़ना नहीं है और संगत प्रावधान अर्थात् जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा-50 विधान परिषदों में शिक्षकों की किसी भी श्रेणी को प्रतिनिधित्व देने की अनुमति प्रदान नहीं करती।

विधान परिषदों पर संविधान सभा में हुई बहसों का मूल्यांकन

इस समिति ने संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (ग) के अन्तर्गत, संविधान सभा की कार्यवाहियों की जांच की। संविधान बनाते समय, अनुच्छेद-150 राज्यों की विधान परिषदों के गठन से सम्बन्धित था।

2. राज्यों की विधान परिषदों की संरचना के बारे में, संविधान सभा ने दो बार विचार किया था। संविधान सभा के सम्मुख रखे गए मूल प्रारूप में सिर्फ यह कहा गया था कि राज्यों के उच्च सदन की संरचना संसद द्वारा बनाए गए कानून में यथा निर्धारित रूप में की जाएगी। संविधान सभा में जब इस प्रावधान पर चर्चा हुई तो सदन ने महसूस किया कि सांविधानिक प्रावधान, जो कि प्रांतीय विधायिका की सांविधानिक संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग है, को और अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट होना चाहिए।

3. अनुच्छेद-150 के संघटन पर हुई चर्चाओं के दौरान, संविधान सभा के अध्यक्ष ने सदन के सदस्यों के साथ भी विचार-विमर्श किया था और यह सुझाव दिया था कि एक और अधिक विस्तृत प्रारूप प्रस्तुत करने के लिए, प्रारूप समिति द्वारा इस मामले पर पुनः विचार किया जाए। राज्यों में विधान परिषदों की संरचना से सम्बन्धित इस मूल अनुच्छेद-150 में इस समय तीन संशोधन पेश किए गए थे और यह अनुच्छेद, प्रारूप समिति के पुनः सुपुर्द कर दिया गया था।

4. डा० अम्बेडकर ने नए अनुच्छेद का एक नोटिस दिया, जिस पर बाद में चर्चा की गई थी और जो भारत के संविधान के अस्तित्व में आने से पहले दिनांक 19-8-1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था।

“अनुच्छेद-150 के बारे में डा० अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित संशोधन पेश किए गए :—

“अनुच्छेद 150, की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए —

150 (1) इस प्रकार की संरचना वाली, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या, उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या की एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी :

बशर्ते कि किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या, किसी भी हालत में 40 से कम नहीं होगी।

(2) जब तक कि संसद, कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न कर दे, राज्य विधान परिषद का गठन, इस अनुच्छेद की धारा (3) में यथा-प्रावधान के अनुसार होगा।

(3) किसी राज्य की विधान-परिषद में सदस्यों की कुल संख्या के (क) कम से कम एक तिहाई सदस्य, निर्वाचन-पद्धति द्वारा चुने जाएंगे, जिनमें नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और इसी प्रकार के अन्य स्थानीय प्राधिकरणों, जिन्हें संसद कानून द्वारा विनिर्दिष्ट करें, के सदस्य शामिल होंगे, (ख) कम से कम 1/12 सदस्य, निर्वाचन-पद्धति द्वारा चुने जाएंगे, जिनमें वे व्यक्ति होंगे, जो उस राज्य के किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष से स्नातक रहे हों और वे व्यक्ति, जो तीन वर्ष की वह अर्हता रखते हों जो इस प्रकार के किसी विश्वविद्यालय के स्नातक के समकक्ष हों अथवा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत स्नातक के समकक्ष निर्धारित की गई हो, (ग) कम से कम 1/12 सदस्य, निर्वाचन-पद्धति द्वारा चुने जाएंगे, जिनमें वे व्यक्ति शामिल होंगे, जो राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी यथा निर्धारित अथवा संसद द्वारा बनाए गए कानून के अन्तर्गत माध्यमिक स्कूल के स्तर से कम न हो, (घ) यथा संभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य, राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाएंगे, जो विधान सभा के सदस्य न हों (ङ) शेष का मनोनयन, इस अनुच्छेद की धारा (5) में विनिर्धारित पद्धति से राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।

(4) इस अनुच्छेद की धारा (3) की उप-धारा (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत चुने जाने वाले सदस्य, इस प्रकार के निर्धारित, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अथवा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत, निर्धारित क्षेत्र से चुने जाएंगे, और उक्त उप धारा तथा उक्त धारा की उप-धारा (घ) के अन्तर्गत चयन एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाएगा।

(5) इस अनुच्छेद की धारा 3 की उपधारा (ङ) के अन्तर्गत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों में, वे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आन्दोलन और समाज सेवा के क्षेत्र का विशेष ज्ञान, अथवा व्यावहारिक अनुभव हो।

5. संविधान-सभा में चर्चा के दौरान, पश्चिम बंगाल के डा० मनमोहन दास ने यह मुझाव दिया था कि :

“प्रस्तावित अनुच्छेद-150 की धारा-3 की उपधारा (ख), संशोधनों में संशोधन की (चौथे सप्ताह) सूची संख्या-1 के संशोधन संख्या-1 में “कम से कम 3 वर्ष के लिए” शब्द जहां कहीं भी आते हों, उन्हें हटा दिया जाए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वे यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि एक स्नातक जिसने अभी कल ही अथवा कुछ दिन पूर्व डिग्री प्राप्त की हो और 3 वर्ष के स्नातक में क्या अन्तर होगा। यदि इस अनुच्छेद के प्रायोजकों का यह विचार है कि शैक्षिक अर्हताओं की परिपक्वता के लिए, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो 3 वर्ष का अनुभव अपर्याप्त होगा। स्नातकता की अर्हता की परिपक्वता के लिए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अतः उन्होंने यह सुझाव दिया कि धारा (ख) के अन्तर्गत मतदाता-सूची में पंजीकृत किए जाने के लिए 3 वर्ष की अवधि की शर्त, हटा दी जानी चाहिए।”

6. मद्रास के श्री वी० आई० मनिस्वामी पिल्लै ने यह नोटिस दिया कि “प्रस्तावित अनुच्छेद-150 की धारा 3 की उप धारा (घ) संशोधनों में संशोधनों की (चौथे सप्ताह) सूची संख्या-1 के संशोधन-संख्या 1 में, “एक तिहाई” शब्द के बाद, “अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों सहित” शब्दों को निर्धारित कर जोड़ा जाए। “आगे, उन्होंने यह भी कहा कि संशोधन लाने का उद्देश्य, अपर-चैम्बर में अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि डा० अम्बेडकर द्वारा लाए गए संशोधनों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जब तक “अपर हाउस” में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं किए जाते, अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए, “अपर हाउस” में सीटें प्राप्त करना अथवा पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करना असंभव होगा।

7. गुजरात के प्रौ० के० टी० शाह ने कहा कि अनेक ऐसे संशोधन हैं जिन पर वे संविधान सभा का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे। तथापि डा० अम्बेडकर द्वारा सुझाई गई नई योजनाओं के कारण उनके द्वारा लाए गए सभी संशोधन, अप्रासंगिक प्रतीत होते हैं।

8. श्री एस० नागप्पा ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किए :--

(क) कि “प्रस्तावित अनुच्छेद-150 की धारा (1) के परन्तुक में संशोधनों में संशोधनों की (चौथा सप्ताह) सूची संख्या-1 के संशोधन संख्या-1 में “चालीस,” शब्द के स्थान पर “पैंतालीस” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ;

(ख) प्रस्तावित अनुच्छेद-150 की धारा-3 की उप धारा (ख) और (ग) में संशोधनों में संशोधन की (चौथा सप्ताह) सूची संख्या-1 के संशोधन-संख्या-1 में, “1/12” शब्द के लिए जहां कहीं भी यह आता हो, “1/15” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

(ग) प्रस्तावित अनुच्छेद-150 की धारा (3) की उप धाराओं (क), (ख), (ग) और (घ) में संशोधनों में संशोधन की (चौथा सप्ताह) सूची संख्या-1 के संशोधन-संख्या-1 में, “यथा संभव निकटतम” शब्द जहां कहीं भी आए हों, उन्हें हटा दिया जाए।

बशत कि किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी हालत में 40 से कम नहीं होनी चाहिए।

8. श्री नारायणा ने आगे कहा कि उन्हें यह खुशी है कि शिक्षकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इन वर्षों में शिक्षक मूक-कण्ठ भोगी रहे हैं। समूचे विश्व में उनकी आय सबसे कम थी और विधान परिषद में प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए, उनके अधिकारों को मान्यता दी गई है।

9. श्री एच० वी० कामथ ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किए :—

(क) कि सूची संख्या-1 (चौथा सप्ताह) के संशोधन में, प्रस्तावित अनुच्छेद-150 की धारा (1) के परन्तुक, (यह उल्लेख करना है कि डा० अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन अब विचाराधीन है) को हटा दिया जाए।

यशर्त कि किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, किसी भी हालत में 40 से कम नहीं होगी ;

(ख) कि प्रस्तावित अनुच्छेद-150 की धारा (2) की सूची-1 (चौथा सप्ताह) के संशोधन में "जब तक संसद, कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न कर दे" शब्दों को निकाल दिया जाए।

(ग) कि प्रस्तावित अनुच्छेद की धारा-5 की सूची-1 (चौथा सप्ताह) के संशोधन में "सहकारी आन्दोलन" शब्दों को हटा दिया जाए ;

(घ) प्रस्तावित अनुच्छेद की धारा-5 की सूची-1 (चौथा सप्ताह) के संशोधन में, "सहित्य" शब्द से पहले "धर्म, दर्शन शास्त्र" शब्दों को हटा दिया जाए।

10. श्री एच० वी० कामथ ने कहा कि कृष्ण राज्यों के निचले सदन में 60—70 सदस्य होते हैं, जहां निचले सदन में सदस्यों की संख्या 60—70 से अधिक नहीं होती है, तो उच्च सदन (अपर हाउस) में 40 सदस्यों का होना नितान्त रूप से अवांछनीय होगा। प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 150 के मूल प्रारूप में, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था और केवल उच्च सीमा नियत कर दी थी, जो इस आशय से की गई थी कि यह संख्या, निचले सदन की कुल संख्या के एक-चौथाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह न केवल विलासिता होगी, अपितु निचले सदन के लिए भी अवांछनीय बाधा होगी और यदि हम एक बार 40 सदस्यों की न्यूनता का प्रावधान कर देते हैं, तो प्रत्येक अति लघु राज्य को दूसरे सदन की मांग करने के लिए उकसाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अति लघु राज्यों को उनके यहां दूसरे सदन (चैम्बर) के लिए प्रोत्साहित न किया जाए।

11. बिहार के श्री ब्रिजेश्वर प्रसाद ने इस अनुच्छेद का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से विधान परिषद में सीटों की संख्या, विधान सभा में सीटों की कुल संख्या की एक चौथाई, तक, अधिकतम 40 सीटों तक, सीमित होनी चाहिए।

12. श्रीमती पूर्णमा बैनर्जी ने इस बात पर प्रश्नता व्यक्त की कि शिक्षण व्यवसाय को भी इससे सम्बद्ध किया गया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्कूली शिक्षकों को ही नहीं, अपितु स्वैच्छिक शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। नए ढांचे में, यदि शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण प्रगति लानी है, तो इसके लिए हमें योग्य तथा अर्हक व्यक्तियों की सहायता की जरूरत पड़ेगी, जो स्वैच्छिक शिक्षकों के रूप में कार्य करेंगे। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षण व्यवसाय में स्वैच्छिक शिक्षकों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

13. मध्य प्रदेश के श्री वी० एस सरजू ने कहा कि अनुच्छेद 150, धारा 13 में विश्वविद्यालय स्नातकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस धारा की शब्दावली से कुछ कठिनाइयां देखने में आती हैं। इस वाक्यांश "कि वे व्यक्ति, जो उस राज्य के किसी विश्वविद्यालय के कम से कम, तीन वर्षों से स्नातक रहे हों", का तात्पर्य है कि स्नातकों को मतदाता होने के लिए निम्न दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है :—

"पहले वे तीन वर्षों की अवधि के स्नातक अवश्य हों और दूसरे वह विश्वविद्यालय, उसी राज्य में हों, जिससे वे स्नातक हैं।"

14. उन्होंने कहा कि इससे काफी कठिनाई होगी। उदाहरणार्थ, मध्य भारत में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। अतः मध्य भारत में विश्वविद्यालय का कोई भी स्नातक, इस धारा के अन्तर्गत मत देने के योग्य न होगा।

अतः उन्होंने सुझाव दिया कि "किसी विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर "भारत के सीमा क्षेत्र में" शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

15. डा पी० एस० देशमुख ने कहा कि चूंकि एक तिहाई सदस्यों का चुनाव विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा स्वयं किया जाता है, अतः अधिकांशतः वे अपने जैसे लोग ही चुनेंगे। स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुनी गईं जैसी अन्य श्रेणियों में, ऐसी कोई संभावना नहीं है, कि समाज के किसी श्रेष्ठतम तत्वों को चुना जाएगा। वे भी विधान सभा के सदस्यों की भांति के होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अनुच्छेद का प्रारूप बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया है।

16. वह आगे यह भी जानना चाहते थे, कि इस विशेषाधिकार के लिए माध्यमिक स्कूल शिक्षक को ही क्यों पेश किया जाता है। यदि माध्यमिक स्कूल का कोई शिक्षक, विधान परिषद में स्थान पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है तो इस विशेषाधिकार का लाभ देने में प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को भी शामिल क्यों न किया जाए। उन्होंने यह महसूस किया कि प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के साथ एक तो यह अन्याय है, दूसरे जब संविधान सभा, एक स्नातक को दूसरे सदस्य के लिए व्यक्तियों का चयन करने के लिए योग्य मान रही है और वह भी एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक का है, तो इन लोगों को राजनीति से कैसे दूर रखा जा सकता है। अतः उन्होंने यह महसूस किया कि प्रारूप समिति ने प्रश्न के इस पक्ष की ओर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार नहीं किया है।

17. अनुच्छेद 150 (अब अनुच्छेद-171) पर संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार विमर्श किया गया था और डा अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अन्तिम रूप से अपना लिया गया था।

संविधान सभा की बहुसंख्यक समिति की टिप्पणियाँ

समिति ने संविधान सभा की बहुसंख्यक कार्यवाहियों पर चर्चा की तथा यह महसूस किया कि विधान परिषदों में शिक्षकों को प्रतिनिधित्व आदर्शवादी विचारधारा पर दिया गया है। उस समय पर यह महसूस किया गया था कि शिक्षक मूक क्षतिग्रस्त थे। उनका वेतन भी बहुत सीमित था। विधि प्रक्रिया सहित राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान होने के उद्देश्य से उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, जिसके लिए उन्हें विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

2. तथापि आजकल स्थिति पूरी तरह से भिन्न है शिक्षकों को विभिन्न मंचों में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। उनके वेतन ढाँचे में सुधार किया गया है और अब उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तथापि शिक्षकों के प्रतिनिधित्व से उनके शैक्षिक कार्य-निष्पादन में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सामान्य रूप से वेतन, पदोन्नति, पेंशन, अन्य सेवाशर्तों में सुधार की मांग करना एक प्रवृत्ति बन गई है। प्राइमरी स्कूल शिक्षकों को मताधिकार प्रदान करने से यह आशंका है कि इससे यह मामला राजनीतिक बनेगा और शिक्षकों व्यवस्था को नुकसान हो जाएगा।

3. प्रारम्भ में नौ राज्यों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर में विधान परिषदें थीं। चूंकि ये परिषदें 1-8-1969 को पश्चिम बंगाल, 7-1-1970 को पंजाब, 1-6-1985 को आंध्र प्रदेश और 1-11-1986 को तमिलनाडु के राज्यों में समाप्त हो गईं। इस समय केवल पांच राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर में विधान परिषदें हैं। जम्मू और कश्मीर की विधान परिषद शिक्षकों को कोई प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करती है।

4. विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। इस प्रकार से केवल वे राज्य विधान परिषदें रख सकते हैं जिनकी सदस्य संख्या 160 से अधिक है। राज्य विधान सभा में सदस्यता की संख्या को दशानि वाला एक विवरण परिशिष्ट III में दिया गया है। अगर विधान परिषदों की धारणा की समीक्षा की भी जाती है तो आधे से अधिक राज्य, विधान परिषदें रखने के लिए समर्थ नहीं होंगे और अध्यापकों के एक समान प्रतिनिधित्व में अनियमितताएं समस्त देश में जारी रहेंगी।

5. जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था उस वक्त भी अधिक स्कूल निर्जी स्कूल थे और इस प्रकार अधिकांश अध्यापक विधान परिषदों में चुनाव लड़ने के लिए पात्र थे। मौजूदा स्थिति यह है कि 80 प्रतिशत

से भी अधिक स्कूल या तो राज्य सरकारों ने अपने अधिकार में ले लिए हैं या स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी होने और आचरण नियमावली उन पर लागू होने से वे चुनाव नहीं लड़ सकते। कुल शिक्षक संख्या का केवल एक छोटा सा भाग चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा।

6. विधान परिषदों में अध्यापकों के प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में अध्यापकों को चुनाव में शामिल करने से उनके राजनीतिकरण का स्वरूप और सीमा क्या होगा इस पर विचार-विमर्श किया गया और यह आशंका व्यक्त की गई कि प्राथमिक अध्यापकों को भत्ताधिकार प्रदान करने से स्थिति और अधिक विकट बन जाएगी। विशेष रूप से बच्चे नुकसान उठाएंगे और सामान्य रूप से प्रारम्भिक शिक्षा पद्धति में क्षति पहुंचेगी। इस प्रकार की स्थिति संविधान के प्रावधानों की भावना के अनुरूप नहीं होगी। यह भी नीट किया गया था कि स्नातक, निर्वाचन क्षेत्रों के प्रावधान के अन्तर्गत वे भी चुने जा सकते हैं जो स्नातक नहीं हैं। शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इससे सम्भवतः इन प्रावधानों का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

7. यह दलील काफी शक्तिशाली और तार्किक है कि सोसाइटी में अन्य व्यवसाय भी राष्ट्र निर्माण में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि डाक्टर, वकील, इंजीनियर, पत्रकार, स्वतन्त्रता सेनानी, शिक्षकों की रूप रेखाओं के आधार पर इस प्रकार मांग करते हैं तो उनकी बात विवेकपूर्ण और तर्कसंगत होगी। शिक्षकों के सम्बन्ध में संविधानों के प्रावधानों को विस्तृत करने के सम्बन्ध में इन पहलुओं की सामाजिक, राजनीतिक, और नीति परक उलझनों की जांच करना अपेक्षित होगा। समिति ने अपने विचारधीन विषयों के संदर्भ में ऐसी कठिनाइयों, विकल्पों, और परिणामों की विस्तृत जांच की।

तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में विधान परिषदों के भंग करने से संबंधित संसदीय कार्यवाहियां

समिति ने तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों की विधान परिषदों के भंग करने सम्बन्धी संसद/विधान सभाओं की कार्यवाहियों को भी जांच की। पंजाब में विधान परिषद भंग करने सम्बन्धी कार्यवाहियों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। वाद-विवाद में उठाए गए कुछ सम्बद्ध मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है :—

तमिलनाडु

- (क) विधि मंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत किसी राज्य की विधान परिषद भंग करने को संसद सक्षम है;
- (ख) तमिलनाडु से श्री बालू, संसद सदस्य ने इस आधार पर विधेयक का विरोध किया कि यह राजनीति से प्रेरित है और इसका मुख्य उद्देश्य डा० के० करुणानिधि की लोकप्रियता को कम करना है;
- (ग) तमिलनाडु के० श्री जी० स्वामीनाथन ने कहा कि विधान परिषद ने निर्धारित उद्देश्य पूरा नहीं किया है और अन्य व्यवसायों, जैसे डाक्टरों इंजीनियरों, आदि को विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे कहा था कि यह विधान सभा के पूर्ण विवेक पर है कि विधान परिषदें भंग की जाएं अथवा नहीं।
- (घ) श्री श्यामलाल यादव ने कहा कि विधान परिषद एक विकृत सदन है और इसलिए उन्हें बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है और देश भर में एक समान प्रणाली होनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल

विधि मंत्री ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 169 (1) के अन्तर्गत, यदि किसी राज्य की विधान परिषद एक संकल्प पारित कर दे जिसमें राज्य ऐसे राज्य की विधान परिषद भंग करने, जिसमें कोई परिषद हो अथवा किसी राज्य में इस प्रकार की परिषद का गठन करने, जहां एसी कोई परिषद न हो, का अपेक्षित बहुमत सहित प्रावधान किया गया हो, संसद के पास कानूनन परिषद भंग करने अथवा उसका गठन करने, जैसा भी मामला हो, प्रावधान हो सकता है। ऐसे कानून को संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।

2. डा० एस० के० त्रिपुरिया ने कहा कि सरकारों द्वारा विधान परिषदों को ऐसी उपहासास्पद स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है जो पराजित राजनीतिज्ञों तथा बहिष्कृत मंत्रियों के आवास में परिवर्तित हो गए हैं और उन लोगों को मंत्रियों के रूप में लाने के लिए इस सदन का साधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है जिनमें अन्यथा जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जैसी कि आज स्थिति बन गई है कि विधान परिषदों ने उन निर्धारित प्रयोजनों और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जिनके लिए इनकी स्थापना की गई थी।

आन्ध्र प्रदेश

- (क) राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयक में संशोधन करना संसद का अधिकार है,
- (ख) पंजाब विधान मंडल परिषद (उन्मूलन विधेयक) और संसद द्वारा बिना किसी चर्चा के उसी वर्ष नवम्बर, में पारित किया गया।
- (ग) संविधान सभा की चर्चाओं के दौरान डा० बी० आर० अम्बेडकर विधान परिषदों के गठन के प्रति अत्यन्त उत्साहित नहीं थे। उन्होंने कहा था कि राज्यों में द्वितीय चम्बर को नितान्त एक प्रायोगिक उपाय के रूप में शुरू किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा था कि द्वितीय चम्बर से छूटकारा पाने के लिए संविधान

में संशोधन करने का पर्याप्त प्रावधान होगा। इसका निर्णय राज्य के लोगों पर छोड़ दिया गया था कि द्वितीय चैम्बर आवश्यक है अथवा नहीं।

(घ) संसद द्वारा 14-5-1985 को उन्मूलन विधेयक पारित किया गया।

राज्यों में परिषदें भंग करने सम्बन्धी समितियों में चर्चाएं

- (1) राज्यों में विधान परिषदें धीरे-धीरे भंग की जा रही हैं। चूंकि, विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए अतः केवल उन राज्यों की जिनकी असेम्बली की सदस्य संख्या 160 है, विधान परिषदें हो सकती हैं। परिणामस्वरूप, यदि राज्यों में विधान परिषदें स्थापित करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए तो भी, आधे से अधिक राज्य विधान परिषदें स्थापित करने के पात्र नहीं होंगे और देश में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व में विषमता जारी रहेगी। बिहार विधान परिषद में 62 सदस्यों में से लगभग 20 शिक्षक हैं जबकि शिक्षक चुनाव क्षेत्र से 8 स्थान ही हैं।
- (2) बिहार में, ढाई लाख शिक्षक हैं और 65,000 प्राथमिक स्कूल हैं जिन्हें राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ है और इस प्रकार बिहार में लगभग सभी प्राथमिक स्कूल शिक्षक सरकारी कर्मचारी हैं और इसलिए चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार शिक्षकों में से केवल सेवा-निवृत्त शिक्षक अथवा वे शिक्षक जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और परिषद के सदस्य बन सकते हैं जिन्हें शिक्षकों के शैक्षिक कार्य-निष्पादन में सुधार करने के प्रति कोई चिन्ता नहीं है।
- (3) समिति ने इस मत पर विचार किया कि यदि प्राथमिक शिक्षकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाता है तो उन पर राजनीति हावी हो जाएगी। जबकि परिषदें विद्यमान हैं यथा स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। यह उल्लेख किया गया था कि इस समय शिक्षक स्थानीय निकायों के भी सदस्य हैं। नगर निगम और अनेक प्रकार के वोट देने के अधिकार जारी रहेंगे। हो सकता है कि कोई मौजूदा जनतांत्रिक पद्धति को समाप्त करने के पक्ष में न हो परन्तु वह जनतांत्रिक पद्धति में सुधार का मुझाव दे सकता है क्योंकि विधान परिषदें जनतांत्रिक पद्धति का एक भाग हैं।
- (4) इस समय, विधान परिषदों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दृष्टिकोण का भाग है न कि गुणावगुण के आधार पर है क्योंकि किसी भी उत्कृष्ट शिक्षक को सीधे ही विधान परिषद में नहीं चुना जाता है।
- (5) शिक्षक चुनाव क्षेत्र में शिक्षकों का कोई विशेष प्रतिनिधित्व क्यों हो इसका कोई कारण नहीं है। इस सबको व्यावहारिक आधार पर समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- (6) सामान्यतया, यह स्पष्ट हुआ है कि विधान परिषदों में शिक्षकों को अच्छे उद्देश्य से प्रतिनिधित्व दिया गया था, परन्तु यह सही ढंग से सफल नहीं हुआ था। व्यवहार्यतः इसने शैक्षिक उद्देश्य के बजाय राजनीतिक उद्देश्य को पूरा किया है।

इस समय स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। कोई भी राज्य सरकार समितियों में अध्यापकों को विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक मामलों से सम्बन्धित अभ्यावेदन दे सकते हैं तथा आजकल अधिकतर प्राथमिक स्कूल अध्यापक स्नातक हैं।

- (7) प्राथमिक या माध्यमिक ग्रेड अध्यापकों के बीच अन्तर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अध्यापकों के लिए चुने जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं तथा अध्यापकों को विशेष स्तर प्रदान करने का कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त परिषदों ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है तथा परिषदों में अध्यापक प्रतिनिधियों के लिए कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए और हमें नए सिरे से कार्य शुरू करना चाहिए।
- (8) अध्यापक चुनाव क्षेत्र में अध्यापकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकारी स्कूल अध्यापक होने के कारण अध्यापक 80% से अधिक (परिशिष्ट V के अनुसार) चुनाव नहीं लड़ सकते। केवल स्कूल अध्यापक अपने प्रतिनिधि भेजने के पात्र रहेंगे।
- (9) विधान परिषद में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं है। यदि अध्यापकों को विशेषाधिकार दिया जाता है तो ये विशेषाधिकार स्वतन्त्रता सेनानियों, डाक्टरों व अन्य व्यावसायिकों को भी दिया जाना चाहिए। जबकि प्रजातांत्रिक पद्धति को यथासंभव महत्व दिए जाने की आवश्यकता है अतः एक व्यावसायिक व अन्य के बीच कोई अन्तर नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों व भारत के चुनाव आयोग के विचार

राज्य सरकार के विचार :

यह विचारणीय है कि कई वर्षों से राज्य सरकारें इस प्रश्न पर अपना विचार बदल रही हैं। बिहार व उत्तर प्रदेश सरकार ने 1972 में विधान परिषद समाप्त करने की सिफारिश की थी। परन्तु 1977-78 में सभी चार राज्य मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र, जिनमें विधान परिषदें हैं, ने प्रस्ताव का विरोध किया। 1978 में कर्नाटक सरकार ने उसके साथ-साथ अध्यापक चुनाव क्षेत्र समाप्त करने की भी सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून, 1992 में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के मताधिकार को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान स्थिति यह है कि कर्नाटक व महाराष्ट्र सरकारों ने प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के लिए मताधिकार शामिल करने के लिए संविधान में परिवर्तन की सिफारिश की है। बिहार सरकार ने कहा है कि विधान परिषदों में अध्यापक चुनाव में मताधिकार प्राथमिक स्कूल अध्यापकों तक बढ़ा दिए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार यथानुर्व स्थिति में परिवर्तन करने के हक में नहीं है। समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा दिए गए विचारों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट 4 में दिया गया है।

विधान परिषद में अध्यापक चुनाव क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के लिए मताधिकार के संबंध में चुनाव आयोग के विचार :

1957 से, चुनाव आयोग अध्यापक चुनाव क्षेत्र समाप्त करने के लिए दबाव डाल रहा है। विधि मंत्रालय (कानूनी कार्यकलाप) को दिनांक 27-5-1957 की टिप्पणी में तत्कालीन चुनाव आयुक्त ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

“यह समझ पाना कठिन है कि माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों, जिनमें से अधिकतर स्नातक हैं, को विधान परिषद में अलग कार्यात्मक प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया है जबकि किसी अन्य व्यवसाय के सदस्यों को इस प्रकार का विशेष व्यवहार नहीं दिया गया है। आयोग के पास कई शिकायतें आई हैं कि अध्यापक, जिनमें से अधिकतर सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी हैं, इन चुनावों में स्वतन्त्रता पूर्वक मत नहीं दे सकते तथा सम्बद्ध क्षेत्रों से उन पर दबाव डाला जाता है। मद्रास सरकार ने अनेक बार इन चुनाव क्षेत्रों को समाप्त करने की सिफारिश की है। आयोग का विचार है कि अन्य राज्य सरकारें जिनमें इस मामले में विचार विमर्श किया गया था, ने भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं।

तदनुसार आयोग का विचार है कि वर्तमान स्थिति असामान्य है तथा अलग क्षेत्र प्रदान करके अध्यापकों को दिए जाने वाला विशेष व्यवहार समाप्त किया जाना चाहिए।”

2. परन्तु उस समय सरकार ने, 12-6-1957 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए सरकार के निर्णय द्वारा चुनाव आयोग की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की थी।

3. दुबारा चुनाव आयुक्त ने 20-7-1960 को विधि मंत्री को संबोधित अपने पत्र में अपने पूर्वाधिकारी के विचार दोहराए थे, उस पत्र में उन्होंने निम्नलिखित विचार प्रकट किए :

“हालांकि सरकार ने उस समय इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था, मेरा विचार है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय को विशेष व्यवहार देना न्यायोचित न होते हुए भी मुझे यह ठीक नहीं लगता कि अध्यापकों को राजनीति दलों में इस प्रकार घसीटा जाए। निर्वाचन मंडल इसमें अपने आप में ही असंगत है, क्योंकि इसमें माध्यमिक स्कूलों की निम्न कक्षाओं के अध्यापक शामिल हैं परन्तु इसमें प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के उसी कक्षा के अध्यापक शामिल नहीं हैं। शैक्षिक क्षेत्र में माध्यमिक स्कूल की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है तथा इस सम्बन्ध में राज्य प्रक्रिया भी एक समान नहीं है। इसमें एक और भी विसंगति है कि सरकारी संस्थानों में कार्य कर रहे अध्यापक इन क्षेत्रों में चुनाव में खड़े होने के लिए आयुक्त हैं परन्तु जो व्यक्ति सीधे सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में कार्य कर रहे हैं, वे इसके योग्य हैं।”

4. अगस्त, 1971 में, निम्नलिखित मुद्दों पर चुनाव आयोग के नए विचार प्राप्त करने के लिए उनको विशेष रूप से लिखा गया था :

- (क) क्या चुनाव आयोग राज्यों की विधान परिषदों में अध्यापकों के निर्वाचित क्षेत्र समाप्त करने के हक में है।
- (ख) यदि चुनाव आयोग अध्यापकों के चुनाव क्षेत्र समाप्त करने के हक में नहीं है, तो क्या प्राथमिक या प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को मताधिकार देना वांछनीय है।

5. चुनाव आयोग ने उत्तर दिया कि उनके द्वारा पहले व्यक्त किए गए विचारों से हटने के लिए कोई आधार नहीं है। तदनुसार आयोग अभी भी अध्यापक के निर्वाचित क्षेत्र समाप्त करने के हक में था।

निष्कर्ष और सिफारिशें

समिति के सामने रखे गए विचाराधीन विषयों के अनुसार, समिति ने विधान परिषदों में, जहाँ भी अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र है, प्रारम्भिक, प्राथमिक/मिडिल इत्यादि स्कूल अध्यापकों को मताधिकार प्रदान करने से सम्बन्धित तमिलनाडु अध्यापक संघ की याचिका की जांच की। समिति ने यह महसूस किया कि यह याचिका देश में संपूर्ण अध्यापक समुदाय से सम्बन्धित थी। विभिन्न दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विधान परिषदों में अध्यापकों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में स्थिति अब पर्याप्त बदल चुकी है। निर्वाचन सभा में विचार विमर्श के दौरान डा० अम्बेडकर ने भी यह कहा था कि विधान परिषदों की विचारधारा भी ओ उस समय दी गई थी, एक प्रयोगात्मक आधार पर थी।

2. अध्यापकों को अब विभिन्न अन्य रूपों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है जैसे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र/समिति ने यह महसूस किया कि किसी भी व्यक्ति को बहु-निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए। यदि प्राथमिक स्कूल अध्यापकों को मताधिकार दिया जाता है तो अन्य व्यावसायिक जैसे डाक्टर, वकील, पत्रकार, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ इत्यादि भी ऐसे ही प्रतिनिधित्व के हकदार होंगे। इसके अलावा यह भेदभावपूर्ण हो जाएगा और परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 19 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है अर्थात् सबके लिए समान अवसर प्रदान करना।

3. इस समय विधान परिषदें केवल चार राज्यों में हैं। 1950 के प्रारम्भ में अधिकांश स्कूल प्राइवेट रूप से चल रहे थे। तब से अब स्थिति विल्कुल बदल गई है। इस समय अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों ने अपने हाथ में ले लिए हैं और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (क) के अन्तर्गत इन स्कूलों के अध्यापक, अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधान परिषद के चुनाव के लिए पात्र नहीं हैं। स्थानीय निकायों में नियुक्त अध्यापक और इसी तरह अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं में निःशुल्क अध्यापक यद्यपि वे न तो संविधान के अन्तर्गत अपात्र हैं और न ही वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अपात्र हैं फिर भी उन लागू सांविधिक अनुशासनात्मक नियम उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित रखते हैं। अतः ऐसे बहुत कम अध्यापक हैं जो चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं।

4. विधान परिषद चुनावों में अध्यापकों के प्रतिनिधित्व की विसंगति बनी रहेगी अर्थात् संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (ग) के अनुसार माध्यमिक स्कूल के प्राथमिक विभाग में कार्य कर रहे अध्यापक चुनाव लड़ने के पात्र होंगे जबकि अध्यापक जो इस समय प्राथमिक स्कूल में कार्य कर रहे हैं वे चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं हैं। इस समय प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की ऐसी काफी बड़ी प्रतिशतता है जो स्नातक हैं जिन्हें स्नातक चुनाव क्षेत्रों के चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग करने का हक है। 30-9-89 की स्थिति के मुताबिक प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक अध्यापकों की कुल संख्या 24.95 लाख थी जिनमें से 20.18 लाख अध्यापक सरकारी अथवा स्थानीय निकायों में कार्य कर रहे थे और केवल 4.77 लाख अध्यापक सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट संस्थाओं में कार्य कर रहे थे जो चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। दूसरे शब्दों में यदि विधान परिषदों के चुनावों में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों को मत देने का अधिकार दिया जाता है तो सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्य कर रहे प्राथमिक स्कूल अध्यापकों का केवल 20 प्रतिशत मत देने का हकबार होगा और 80 प्रतिशत अध्यापक इससे वंचित रहेंगे। एक ओर सरकारी और स्थानीय निकायों में नियुक्त अध्यापकों और दूसरी ओर प्राइवेट संस्थाओं में नियुक्त अध्यापकों के बीच भेद बनाए रखने में बहुत कम औचित्यता है। कानूनी अथवा अन्वयात् अतः समिति ने यह महसूस किया कि प्रारम्भिक स्कूल के अध्यापकों को मत देने का अधिकार देने से रिश्ते में कोई सुधार नहीं होगा और न ही इससे कोई प्रजातन्त्र का आधार मजबूत बनेगा।

5. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पिछले चार दशकों के अनुभव का विश्लेषण करने के बाद और मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए समिति का यह विचार है कि विधान परिषदों में पृथक अध्यापक निर्वाचन

क्षेत्रों के सम्बन्ध में मौजूदा प्रावधान को बनाए रखने से समाज के अन्य वर्गों जैसे डाक्टर, वकील, पत्रकार इत्यादि से भी ऐसी ही मांग की जाएगी तथा उनमें निराशा और असंतोष फैल जाएगा। अतः यह वांछनीय नहीं होगा कि समाज के एक वर्ग अर्थात् माध्यमिक स्कूल अध्यापक के एक वर्ग के साथ प्राथमिकता और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाए। उनमें से भी लगभग 80 प्रतिशत इससे बाहर ही रहेंगे और केवल शेष ही चुनाव लड़ सकेंगे।

6. अतः समिति का यह विचार है कि विधान परिषदों में अध्यापकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र रखने की कोई जरूरत नहीं है।

सं० एफ० 3-11/91 पी० एन०-1

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

आदेश

विषय :— विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में के० शि० स० बोर्ड समिति।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 8-9 मार्च, 1991 को आयोजित अपनी 46वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि के० शि० स० बोर्ड के अध्यक्ष को विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में एक के० शि० स० बोर्ड समिति का गठन करना चाहिए।

2. इसलिए के० शि० स० बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से मानव संसाधन विकास मंत्री ने निम्नलिखित समिति का गठन किया है :—

- (1) श्री वीरप्पा मोइली
शिक्षा मंत्री,
कर्नाटक
अध्यक्ष
- (2) श्री अनन्तराव थोप्टे,
शिक्षा मंत्री,
महाराष्ट्र।
- (3) श्री शिव प्रताप शुक्ला,
बुनियादी और प्रौढ़
शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार),
उत्तर प्रदेश।
- (4) डॉ० रामचन्द्र पूर्वे,
मंत्री (एस० ई० एण्ड पी० ई०),
बिहार।
- (5) श्री पी० वी० रंगाराव,
शिक्षा राज्य मंत्री,
आंध्र प्रदेश।
- (6) कानून और न्याय मंत्रालय का प्रतिनिधि
भारत सरकार
- (7) श्री निखिल चक्रवर्ती,
सम्पादक, मेनस्ट्रीम,
नई दिल्ली।
- (8) डॉ० (श्रीमती) सरस्वती स्वैन,
कल्याण नगर,
महाराष्ट्र।

(9) प्रो० मुनीस रजा,
अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,
नई दिल्ली ।

(10) डॉ० के० एल० चोपड़ा,
निदेशक,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
खड़गपुर ।

(11) डॉ० जे० एस० राजपूत,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

3. केन्द्रीय सरकार के शिक्षा सचिव और नीपा के निदेशक समिति की बैठकों में स्थायी अतिथि होंगे ।

4. समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित की जांच होगी :—

—क्या विधान परिषद के चुनावों में शिक्षकों के पृथक चुनाव क्षेत्रों से सम्बन्धित वर्तमान प्रावधान वांछनीय है, और

—यदि हां, तो क्या पूर्व स्थिति बनी रहनी चाहिए या प्रारम्भिक शिक्षकों को शिक्षक चुनाव क्षेत्रों में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए ।

5. समिति को अपनी बैठक से दो माह के भीतर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए ।

6. समिति कार्य के सम्बन्ध में अपने नियम और प्रणाली अपनाएगी ।

7. समिति को सचिवालयी सहायता तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं शिक्षक शिक्षा प्रभाग, शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी ।

ह०

(टी० सी० जेम्स);

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति :—

- (1) समिति के सभी सदस्य तथा सभी स्थायी आमंत्रित सदस्य ।
- (2) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्य ।
- (3) सभी राज्य सरकारों तथा संघशासित प्रशासनों के शिक्षा सचिव ।
- (4) मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव/शिक्षा सचिव के निजी सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव ।
- (5) निदेशक (शिक्षक शिक्षा)
- (6) शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी ।

संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से सम्बन्धित है। उपधारा (1) के अनुसार किसी भी राज्य में जहाँ विधान परिषद हैं, उसमें विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए :

वर्णते कि उस राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम न हो। उपधारा (2) के अनुसार जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करता, किसी भी राज्य की विधान परिषद की संरचना धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार होगी। संविधान के अनुच्छेद 171 की धारा (3) में कहा गया है कि राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या इस प्रकार होगी :

(क) यथासंभव एक-तिहाई सदस्य नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा संसद द्वारा कानून के माध्यम से विनिर्दिष्ट राज्य के ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाएंगे।

(ख) यथासंभव 1/12 सदस्य ऐसे निर्वाचक मण्डल द्वारा चुने जाएंगे जिसके ऐसे व्यक्ति सदस्य होंगे जो राज्य में रहे हों तथा जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय की कम से कम तीन वर्ष से स्नातक की डिग्री हो अथवा जिनके पास कम से कम तीन वर्ष से ऐसी डिग्री हो जिसको संसद द्वारा निर्मित कानून के द्वारा अथवा कानून के अन्तर्गत इन विश्वविद्यालयों की स्नातक की डिग्री के समकक्ष निर्धारित किया गया हो।

(ग) यथासंभव 1/12 सदस्य ऐसे निर्वाचक-मंडल द्वारा चुने जाएंगे जिसके ऐसे व्यक्ति सदस्य होंगे जो राज्य के किसी ऐसी शैक्षिक संस्था में शिक्षण व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष से लगे हों जो संसद द्वारा निर्मित कानून के अन्तर्गत अथवा कानून के द्वारा यथानिर्धारित माध्यमिक स्कूल के स्तर से कम न हो।

(घ) यथासंभव एक-तिहाई सदस्य राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो विधान सभा में न हों।

(ङ) शेष सदस्य धारा (5) के अनुसरण में राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे।

धारा (3) की उपधारा (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत चुने जाने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचक-क्षेत्रों में से चुने जाएंगे जहाँ संसद द्वारा निर्मित कानून के अन्तर्गत अथवा कानून के द्वारा ऐसा विधान किया गया है तथा उपर्युक्त धारा की उपधारा (घ) के अन्तर्गत तथा उपर्युक्त उप-धाराओं के अन्तर्गत चुनाव एकल स्थानान्तरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अन्तर्गत होगा।

धारा (3) की उपधारा (ङ) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें माहिश्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन तथा सामाजिक सेवा इत्यादि में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो।

शिक्षकों के चुनाव क्षेत्रों (टी०सी०) पर मंत्रिमंडलीय निर्णयों का इतिहास

क्रम सं०	मंत्रिमंडलीय नोट की तिथि	मंत्रिमंडलीय नोट में दिए गए विचार		मंत्रिमंडलीय नोट में विधि मंत्रालय का प्रस्ताव	मंत्रिमंडलीय निर्णय	
		राज्य सरकार	शिक्षा विभाग		तिथि	सार
1	2	3	4	5	6	7
1.	1957	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	12-6-57	चुनाव क्षेत्रों को समाप्त करने के सम्बन्ध में सी० ई० सी० की सिफारिशों को नहीं माना।
2.	11-6-64	8 में से 7 राज्यों ने चुनाव क्षेत्रों को समाप्त करने का समर्थन किया।	व्यक्त नहीं किया गया	चुनाव क्षेत्रों को समाप्त किया जाए।	17-6-64	आवश्यक समझने पर मामले पर पुनर्विचार किया जाए और उसकी चर्चा की जाए।
3.	3-3-65	10/64 के सम्मेलन में के० शि० सं० बो० ने समाप्त करने का समर्थन किया।	शिक्षा मंत्री श्री छागला ने के० शि० सं० बो० के मत का समर्थन किया।	-वही-	1-4-65	मामले को टाल दिया गया।
4.	7-10-65	राज्य शिक्षा मंत्रियों ने 6/65 के सम्मेलन में चुनाव क्षेत्रों को समाप्त करने की एकमत से सिफारिश की।	कोई विशेष उल्लेख नहीं।	-वही-	14-10-65	-वही-
5.	23-2-72	तमिलनाडु द्वारा प्राथमिक शिक्षकों को मताधिकार देने के प्रस्ताव के अलावा कोई विशेष उल्लेख नहीं।	यथास्थिति बनी रहनी चाहिए।	I. समाप्त करने के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। II. तमिलनाडु के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाए।	3-4-72	I. संस्वीकृत II. मामले पर तमिलनाडु सरकार के साथ फिर से विचार-विमर्श किया जाए।

1	2	3	4	5	6	7
6.	31-8-77	चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र) ने विस्तार प्रस्ताव का विरोध किया तथा तमिलनाडु और बिहार ने अपने विचार नहीं भेजे ।	नोट में दो विरोधी विचार (संभवतः अवसर) दर्शाए गए ।	तमिलनाडु के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाए	7-9-77	(i) विधि मंत्रालय द्वारा यथास्थिति का प्रस्ताव । (ii) समाप्त करने के प्रश्न की जांच की जाए ।
7.	17-2-79	तीन राज्यों ने (आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक) चुनाव क्षेत्रों को समाप्त करने का समर्थन किया, दो राज्यों (तमिलनाडु और महाराष्ट्र) ने विरोध किया और एक ने (उत्तर प्रदेश) अपना विचार नहीं भेजा ।	स्नातकों के चुनाव क्षेत्रों को समाप्त करने का समर्थन नहीं किया, शिक्षकों के चुनाव क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं ।	निम्नलिखित के लिए मंत्रिमंडल के निर्देश लिए गए (i) क्या राज्यों के विचार प्राप्त करने के बाद शिक्षकों के चुनाव क्षेत्रों और स्नातकों के चुनाव क्षेत्रों को समाप्त करने के मामले पर एक साथ विचार किया जाए । या (ii) फिलहाल मुद्दों पर विचार किए जाने को टाल दिया जाए ।	27-2-79	शिक्षकों के चुनाव क्षेत्रों के सम्बन्ध में यथास्थिति बनी रहनी चाहिए ।

राज्यों की विधान सभानों में सीटों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	सीटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	294
2.	असम	126
3.	बिहार	324
4.	गुजरात	182
5.	हरियाणा	90
6.	हिमाचल प्रदेश	68
7.	जम्मू और कश्मीर	76
8.	कर्नाटक	224
9.	केरल	140
10.	मध्य प्रदेश	320
11.	महाराष्ट्र	288
12.	मणिपुर	60
13.	मेघालय	60
14.	नागालैण्ड	60
15.	उड़ीसा	147
16.	पंजाब	117
17.	राजस्थान	200
18.	सिक्किम	32
19.	तमिलनाडु	234
20.	त्रिपुरा	60
21.	उत्तर प्रदेश	425
22.	पश्चिम बंगाल	294
23.	अरुणाचल प्रदेश	60
24.	गोवा	40
25.	मिजोरम	40

प्रारम्भिक स्कूल शिक्षकों के मताधिकार के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार

1972	1977-78	1978
बिहार और उत्तर प्रदेश ने विधान परिषदों को समाप्त करने की सिफारिश की।	बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सभी चार राज्य सरकारों ने प्रस्ताव का विरोध किया।	कर्नाटक सरकार ने सभी शिक्षकों के चुनाव क्षेत्रों को समाप्त करने की सिफारिश की।
जून, 1982	1991	1992
उत्तर प्रदेश सरकार में प्रारम्भिक स्कूल शिक्षकों को मताधिकार देने का प्रस्ताव किया है।	कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारों ने प्रारम्भिक स्कूलों के शिक्षकों को मताधिकार देने के लिए संविधान में परिवर्तन करने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश और बिहार यथास्थिति में परिवर्तन का समर्थन नहीं करते हैं।	बिहार सरकार का यह मत है कि विधान परिषदों के लिए शिक्षकों के चुनाव क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्कूलों के शिक्षकों को भी मताधिकार दिया जाए।

दिनांक 30-9-89 तक प्रबन्धकों द्वारा दी गई शिक्षकों की संख्या और प्रतिशतता

प्रबन्धन	स्कूलों के संवर्गों के आधार पर शिक्षकों की संख्या (लाख में)		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
1. सरकारी	5.45	4.15	9.60
2. स्थानीय निकाय	7.44	3.14	10.58
3. निजी			
(क) सहायता प्राप्त	1.30	1.80	3.14
(ख) गैर सहायता प्राप्त	0.74	0.89	1.63
(ग) कुल	2.04	2.73	4.77
कुल जोड़	14.93	10.02	24.95

विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर समिति का सचिवालय

1. प्रोफेसर जे० एस० राजपूत,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
2. श्री यू० के० सिन्हा,
निदेशक,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
3. श्री डी० पी० भटनागर,
डेस्क अधिकारी,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
4. श्री एन० ए० गणेशन,
निजी सचिव,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
5. श्री रविन्द्र सिंह,
वैयक्तिक सहायक,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
6. सुश्री वीणा परचानी,
आशुलिपिक,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

**CABE COMMITTEE ON TEACHERS' REPRESENTATION IN
LEGISLATIVE COUNCILS**

**Veerappa Moiley
Education Minister,
Karnataka, and
Chairman**

**New Delhi
July, 1992**

Dear Shri Arjun Singh,

I have great pleasure in presenting to you the Report of the CABE Committee on Teachers' Representation in Legislative Councils. The question of primary teachers' representation in the States having Legislative Council has been a debatable point since 1964-65. On a representation made by the Tamil Nadu Teachers' Federation, the Rajya Sabha Committee on Petitions in its 90th Report recommended that primary teachers should be given voting rights in Legislative Councils. The Committee have examined the question of voting rights to elementary teachers in Legislative Councils in its larger perspective. It examined the proceedings of the Constituent Assembly to understand the logic and thinking leading to the provision made for teachers' representation in Legislative Councils. It also examined views of the State Governments from time to time, as also proceedings of the State Assemblies/Parliament leading to the abolition of Legislative Councils in the States of Tamil Nadu, West Bengal and Andhra Pradesh. The Report of the Committee is based on the examination of the issues in totality.

We wish to place on record our deep appreciation of the organised work done by the Member-Secretary, Prof. J.S. Rajput, and his colleagues particularly, Shri U.K. Sinha, Director, and Shri D.P. Bhatnagar, Desk Officer and their personal staff, viz., Shri N.A. Ganesan, Ravinder Singh and Kum. Veena Parchani. The hard work done by this team has enabled the Committee to present this Report.

**VEERAPPA MOILEY,
Chairman, CABE Committee on Teachers'
Representation in Legislative Councils**

**Shri Arjun Singh,
Minister of Human Resource Development,
Government of India,
New Delhi.**

**Members of the C A B E Committee on Teachers' Representation in
Legislative Councils**

Chairman

Shri Veerappa Moiley, Minister of Education Karnataka

Members

Shri Anant Rao, Thopte Education Minister, Maharashtra Member-Secretary

Shri Shiv Pratap Shukla, Minister of State (Independent Charge) for
Basic and Adult Education, Uttar Pradesh Prof. J.S. Rajput, Joint
Educational Adviser (Elementary Education), Department of Education

Dr. Ram Chandra Purve Minister (SE & PE), Bihar Permanent invitee
Education Secretary

Shri P.V. Ranga Rao Minister of State for Education
Andhra Pradesh Director, NIEPA

Shri B.L. Mathuria, Joint Secretary, Ministry of Law and Justice
New Delhi.

Shri Nikhil Chakraborty Editor, Mainstream, New Delhi.

Dr. (Smt.) Saraswati Swain, Kalyan Nagar, Cuttack.

Prof. Moonis Raza Chairman, Indian Council of Social Science Research, New Delhi.

Dr. K.L. Chopra, Director, Indian Institute of Technology, Kharagpur.

CONTENTS

Chapters		Page
I	Introduction	35-36
II	Methodology and Procedures	37-41
III	Analysis of Constituent Assembly	42-46
IV	Proceedings of Parliament leading to the abolition of the Legislative Councils in the States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and West Bengal	47-48
V	Views of State Governments and Election Commission	49-50
VI	Outcome and recommendations	51-52
Annexure	Order constituting the CAGE	53-54
Appendix I	Article 171	55
Appendix II	History of Cabinet decisions	56
Appendix III	Statement showing number of seats in State Legislative Assemblies	57
Appendix IV	Statement showing position of views expressed by State Govts. from time to time	58
Appendix V	No. and percentage of teachers by Management as on 30-9-89	59
Appendix VI	Secretariat of the Committee	60

CHAPTER I

INTRODUCTION

The Constitution of India provides for a very special position to the teachers in the configuration of the Legislative Councils. No other profession has been given the privilege of a separate constituency of its own. While provision has been made for the nomination to the Councils from amongst persons having knowledge or experience in Literature, Science, Art, Cooperative Movement and Social Service, a separate constituency for teachers serving in institutions not lower in rank than a secondary school has been created. This underlined the importance attached by the framers of the Constitution to the teachers and underscored the role they were expected to play in the process of nation building.

2. However, even at the time of framing of the Constitution, there was divergence of opinion as to why a special preference should be given to the teachers and also if at all such a provision has to be made, then why should there be a distinction between the teachers in elementary schools and those in institutions of the level of a secondary school or above. As such, from time to time, there have been two kinds of moves to amend Article 171(3)(c) of the Constitution, viz. :

- (a) to abolish the Teachers' Constituencies altogether ;
- (b) to expand it so as to include teachers of elementary schools.

A copy of the provisions of Article 171 (3)(c) of the Constitution may be seen at Appendix I.

3. The Central Advisory Board of Education (CABE), which is the highest advisory body to the Government of India in matters relating to education, had discussed this matter in its meeting held in October, 1964, and had, at that time, recommended that Teachers' Constituencies should be abolished altogether. The Conference of State Education Ministers held in June, 1965, had also unanimously endorsed this recommendation. Subsequently, from time to time, certain State Governments and organisations of elementary School teachers have been demanding that voting rights should be extended to elementary school teachers. The matter was considered in the Central Government on 7 occasions between 1957—79, but no change in the status quo was favoured. The Cabinet in its meeting held in February, 1979, decided that status quo should be maintained. A chronology of the decisions taken by the Cabinet is at Appendix II.

4. Shri Muthuswamy, General Secretary, Tamil Nadu Teachers' Federation, and two others had submitted a petition to the Rajya Sabha on 10-5-1983 regarding pay and service conditions of teachers in the country. One of the prayers made by the petitioners was as follows :

“amendment of Article 171 (3)(c) of the Constitution to give voting rights to elementary school teachers in elections in State Legislative Councils from Teachers' Constituencies.”

5. The Rajya Sabha Committee on Petitions obtained comments of this Department and took oral evidence of petitioners, representatives of various teachers organisations and representatives of Ministry of Law, Government of India, etc. Representative of Human Resource Development Ministry gave oral evidence before the Committee twice on 19-4-1984 at the initial stage and again on 10-7-1986 at the concluding stage of its deliberations.

6. The Committee presented its report on the petition (90th Report) to the House on 30-7-1986. Relevant extracts of the Report are reproduced below :

“there should be no discrimination between elementary/primary/middle etc., school teachers and a teacher at the high/higher secondary/university level for the purpose of voting rights in the Teachers’ Constituencies wherever they exist.”

7. The Law Ministry sought the views of the State Governments having Legislative Councils, namely, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar and Jammu and Kashmir. The Ministry of Human Resource Development also took up the matter with the Ministry of Law.

8. The Law Ministry advised the Ministry of Human Resource Development that before making moves to obtain fresh decision of the Central Government in this regard, the matter might be placed before the Central Advisory Board of Education (CABE) for its advice. The matter was accordingly placed before the CABE in its meeting held on 8-9 March, 1991. The CABE constituted various working groups to deal with each aspect of education. The relevant portions of the minutes of the meeting are reproduced below :

“most members of the Working Group on Elementary Education felt that the issue needed in-depth and comprehensive consideration. The Working Group accordingly suggested that CABE constitute a committee to quickly go into all aspects of the matter and make its recommendations for the Board’s consideration.”

9. In pursuance of the decision taken by the CABE in its meetings held on 8-9 March, 1991, Government of India have set up a CABE Committee on Teachers’ Representation in Legislative Councils. This document is a Report of the Committee.

CHAPTER II

METHODOLOGY AND PROCEDURES

The Committee to examine the question about teachers' representation in Legislative Councils was formed on 10-2-1992 as per Government Order No. F. 3-11/91-PN.I with Shri Veerappa Moiley, Education Minister, Karnataka, as Chairman and nine other members (A copy of the Order constituting the Committee is at Annexure). The terms of reference are :

- (a) to examine—whether representation of the present provision regarding separate Teachers' Constituencies in Legislative Council elections is at all desirable;
- (b) If so, whether the status quo should continue or whether the Constitution should be amended so as to include elementary teachers in Teachers' Constituencies.

The Government Order envisaged that the Committee will lay down its own procedures and methodology of work.

2. The Committee in its first meeting held in New Delhi on 13-3-1992, discussed the procedure and methodology to be followed by it in completing the task assigned to it. It was agreed upon that although a vast amount of material is already available, a systematic study of various factors necessary for taking a decision in the matter is called for. Further, an in-depth study of the materials available should be made and the legal and constitutional aspects should also be examined by the Committee. The Committee decided to go into the rationale of creation of Legislative Councils as well as factors leading to creation of a separate Constituency for the teachers. This would include a critical study of the proceedings of the Constituent Assembly as well as other relevant material for this purpose. It was noted that although four States, where Legislative Councils with Teachers' Constituencies are still in operation, have sent their comments, they should again be requested to send their comments so that if there had been any rethinking on the matter, the Committee could take the same into account. This was felt particularly to be necessary because the States had been sending different recommendations at different points of time.

3. The opinion of other States where Legislative Councils were not in existence, should also be obtained because not only was the issue of great public importance but also because some of the States had Legislative Councils in the past and have now abolished the same. The discussions in the various Assemblies as well as in the Parliament about the abolition of Legislative Councils could also be a valuable source of material for studying the subject before the Committee. These were to be obtained and placed before the Committee. The Committee also thought that it could benefit from the views and opinions expressed by the Election Commission, the Ministry of Law and the Human Resource Development Ministry at different points of time since this matter has been under the consideration of the Central Government on several occasions.

4. Jammu and Kashmir is one State having Legislative Council which does not have a separate Teachers' Constituency. The Committee desired to study the reasons for such provision not being incorporated in Jammu and Kashmir and for this purpose, proceedings of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir, if available, could be helpful. The Committee noted in this meeting that since almost 90% of the teachers are Government employees and hence not entitled to seek election from this Constituency, the actual beneficiaries of this provision are generally those who are not working teachers. A suggestion was made that the Committee could study the profile of the

representatives in the Councils from this Constituency, may be for a period of about 20 years.

5. It was also brought out before the Committee that since the petition before the Petition's Committee of the Rajya Sabha was given by Tamil Nadu Teachers' Association where the Legislative Council no longer existed, the Committee should examine whether the petitioners were making this demand on behalf of teachers of the entire country or only for the teachers of Tamil Nadu.

It was, therefore, decided :

- (a) to write to all the State Governments, whether they are having Legislative Councils or not, to communicate their present viewpoint on the matter as the issue involves wider implications;
- (b) that a copy each of the (a) 90th Report of the Rajya Sabha Committee on Petitions; (b) relevant proceedings made under Article 171 (3)(c) of the Constitution about voting rights to teachers; and (c) a copy of the views expressed by the State Governments from time to time in a tabular form may be circulated to the Members of the Committee;
- (c) that where Legislative Councils have been abolished, proceedings of the Legislative Assemblies/Parliament leading to the abolition of Legislative Councils in States be also made available to the Members of the Committee;
- (d) that copies of the relevant proceedings of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir wherein it has been decided that no separate representation be given to teachers in Legislative Council may also be made available to the participants of the Committee;
- (e) to obtain the complete profile of teachers' representation in Legislative Councils during the last 20 years;
- (f) that the original petition of Tamil Nadu Teachers' Federation may also be gone through to see whether they represented teachers of Tamil Nadu only or teachers all over the country.

6. The Committee was conscious of the fact that it was to submit its report within two months of its first meeting. It was, therefore, decided that a specific time limit should be given to various States/agencies for sending their views and if the same are not available in time, then the Committee could proceed further on the basis of materials and views available before it.

7. The matter was taken up with all the State Governments, seeking their fresh views within three weeks, whether :

- (i) retention of present provision regarding separate teachers' constituencies in Legislative Councils is at all desirable;
- (ii) the status quo should be maintained or the Constitution should be amended to include elementary teachers in the Teachers' Constituencies.

8. Replies from nine State Governments have been received upto the time of writing the Report. Replies received from various State Governments are given below :

HARYANA :

The State Government has stated that there is no need to retain the present provision for separate Teachers' Constituencies in the Legislative Councils for the following reasons :

- (i) The provision regarding separate Teachers' Constituencies in the Legislative Councils may have been made in the Constitution with the aim to induct intellectuals in the Legislative Council as they might be shy of contesting the

elections. These provisions at that stage could be of some value but over a period of 40 years, the situation in the country and the education system has considerably changed;

- (ii) retaining separate teachers' constituencies and involving teachers even below the higher secondary level will result in expanding the scope of involvement of teachers in politics and spoiling the atmosphere of educational institutions right upto the primary level. There is a tendency among the teachers to involve themselves in the politics at college/university level and the time has come to consider as to whether such a tendency among the teaching class should further be allowed to develop or be curbed and their role will be limited to teaching. To keep the teachers away from the politics, it is desirable that the teachers' Constituencies in Legislative Councils be abolished forthwith ;
- (iii) due to expansion of education, other categories of intellectuals, such as doctors, engineers, lawyers, etc. who also constitute a sizeable number of intellectual population in the country, may demand separate constituencies as well ;
- (iv) in fact, the provisions contained in Article 171 (b) providing separate Constituencies for graduates in the Legislative Councils covers all categories of intellectuals, including the teachers and, as such, there is no need to retain separate teachers' Constituencies in the Legislative Councils.

HIMACHAL PRADESH :

Status quo may be maintained under Article 171 (3)(c) of the Constitution and there is no logic in extending the voting rights to primary school teachers.

ARUNACHAL PRADESH :

The Arunachal Pradesh Government have stated that (a) the retention of the present provision regarding separate Teachers' Constituencies in Legislative Councils is desirable; (b) the status quo should be maintained without any discrimination of teachers of all levels for their representation in the Teachers' Constituencies.

ORISSA :

Since the State does not have a Legislative Council, it has no comments to offer.

TRIPURA :

Since the State does not have a Legislative Council, the State Government has no comments to offer.

BIHAR :

State Government is of the opinion that voting rights in Teachers' Constituencies in Legislative Council may be extended to primary school teachers also.

MAHARASHTRA :

The State Government still holds the views communicated by them earlier. However, they have further stated as under :

"However, since a Committee has been set up and would like to look into the issue in depth, we would add the following further comments for your consideration. Upper Houses are in existence only in Five States. Therefore, whether a Constitutional amendment should be initiated to remove the discrimination between school teachers working at various levels is a matter to be considered by the Government of India, taking into account the position whether these States are inclined to continue with the Upper Houses. However, there is no doubt that the existing provisions make discrimination between the teachers who are qualified, some of whom teaching at the primary levels in secondary schools, with the

others teaching at primary level in schools which are themselves only primary schools. The level of voter qualifications would normally be the same in both these cases and, therefore, it is true that there is some discrimination. Educational institutions not lower in standard than that of secondary schools, which are referred to in Article 171(3)(c) of the Constitution of India are specified by the Election Commission, so far as this State is concerned, under Section 27(3)(b) of the Representation of the Peoples Act, 1950, and since the system of recognition of all primary schools in the State of Maharashtra irrespective of whether the schools are private or run by public agency is also well laid down under the definition of "approved Schools" vide Section 2(2) of the Bombay Primary Education Act, 1947 read with Section 39 of that Act, there will be no difficulty, in this State in expanding the scope of enrolment in the teachers' Constituencies to include teachers in such primary educational institutions also. It may be noted, however, that Montessori teaching and teaching below the level of 1st standard are not covered under the Bombay Primary Education Act, 1947 and teachers in such institutions will not be eligible for inclusion in the electoral rolls even if the constitutional amendment is made to cover "primary" or "elementary" schools. Needless to add, in case the constitutional amendments are made, corresponding amendments thereafter in Section 27(3)(b) of the Representation of the Peoples Act, 1950, will also be necessary."

RAJASTHAN :

The State Government has recommended amendment in the constitution to include elementary school teachers in Legislative Councils.

SIKKIM :

Since the State Government has no Legislative Council, it has no views in the matter.

Thus, out of 9 State Governments, from whom replies have been received so far, 3 States (namely Bihar, Haryana and Maharashtra) are in favour of amendment of the Constitution to include voting rights to elementary school teachers in Legislative Councils, 2 States (namely Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh) have recommended status quo while 3 States (namely Orissa, Sikkim and Tripura) have offered no comments and Haryana Government have stated that there is no need to retain the present provision.

8. The matter was taken up with the Parliament Library, requesting them to furnish relevant extracts of the proceedings of Parliament/Constituent Assembly in regard to provisions made under Article 171 of the Constitution and the same was obtained from there.

9. The Parliament Library was also requested to furnish copies of the following documents for consideration by the Committee :

- (i) proceedings of the Parliament/State Assemblies leading to the abolition of Legislative Councils in the States of Punjab, West Bengal, Andhra Pradesh and Tamil Nadu;
- (ii) since Jammu and Kashmir has a separate Constitution, the proceedings of the Constituent Assembly of the State as to why teachers were not given any voting rights.

10. Proceedings of Parliament relating to the abolition of Legislative Councils in the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal were also procured and placed before the Committee. Proceedings regarding abolition of Legislative Councils as also the proceedings of J&K Constituent Assembly could not be made available.

11. The Ministry of Law was requested to make available a copy each of the above documents. The Law Ministry informed that all the records relating to debates in Parliament were not available with that Ministry. However, proceedings of Parliament leading to abolition of Legislative Councils in the States of Andhra Pradesh and Tamil Nadu could be obtained from the Central Secretariat Library. Accordingly, these were obtained from the Central Secretariat Library and circulated to the Members of the Committee.

12. The matter was also taken up with the Election Commission of India requesting them to furnish the following information :

- (i) an analysis of educational profile of those elected to Legislative Councils during the last 20 years under Article 171 (3)(c) of the Constitution ;
- (ii) professional status of those elected under Article 171(3)(c) of the Constitution during the last 20 years. This would give the number of secondary school teachers, elementary school teachers, university teachers, etc. ;
- (iii) whether there have been some changes over a period of time in the profile of those elected under Article 171(3)(c) with regard to their professional status ;
- (iv) any other relevant information relating thereto.

The Election Commission have stated that they do not maintain the profile of elected Members of Legislatures, Union or States and, as such, the information cannot be supplied. They have also advised us to contact the State Governments in the matter.

13. The Secretaries of Legislative Councils of Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra and Karnataka were requested to provide the requisite information. This has been received from Uttar Pradesh and Maharashtra Governments only.

14. The Governments of West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu were requested to provide copies of the proceedings of State Assemblies leading to the abolition of Legislative Councils. Proceedings of Legislative Assemblies relating to the abolition of Legislative Council in the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal have been received.

15. In response to our letter to Jammu and Kashmir Government seeking the above information, the Govt. of Jammu and Kashmir have informed that they have nothing to add to what they have stated earlier and the corresponding provision, i.e., Section 50 of the Constitution of Jammu and Kashmir does not provide for giving representation to any category of teachers in the Legislative Councils.

CHAPTER III

ANALYSIS OF CONSTITUENT ASSEMBLY DEBATES ON LEGISLATIVE COUNCILS

The Committee examined the proceedings of the Constituent Assembly under Article 171(3) (c) of the Constitution. At the time of framing of the Constitution, Article 150 dealt with the constitution of Legislative Councils in the States.

2. The composition of the Legislative Councils in States was considered by the Constituent Assembly twice. The original draft placed before the Constituent Assembly merely said that the composition of the Upper House in the States shall be as may be prescribed by the law made by Parliament. When this provision was discussed by the Constituent Assembly, the House thought that the constitutional provisions in such an important part of constitutional structure of a provincial legislature should be more concrete and specific.

3. During the course of discussions on the composition of Article 150, the President of the Constituent Assembly shared the feelings of Members of the House and suggested that the matter may be further considered by the Drafting Committee with a view to presenting a more comprehensive draft. Three amendments were moved at this stage on the original Article 150 relating to the composition of Legislative Councils in the States and the Article was recommitted to the Drafting Committee.

4. Dr. Ambedkar gave notice of a new Article which was subsequently discussed and adopted by the Constituent Assembly on 19-8-1949 before the Constitution of India came into being. The following amendments were moved by **Dr. Ambedkar on Article 150**.

“For Article 150, the following be substituted:

150(1) The total number of Members in the Legislative Council of a State having such composition of the Legislative Council shall not exceed one-fourth of the total number of Members in the Assembly of that State:

Provided that total number of Members in the Legislative Council of a State shall in no case be less than 40.

(2) Until Parliament may by the legislation provide, the composition of the Legislative Council of a State shall be as provided in Clause (3) of this Article.

(3) of the total number of Members in the Legislative Council of a State (a) as nearly as may be, one-third shall be elected by electorates consisting of Members of Municipalities, District Boards and such other local authorities as Parliament may by law specify; (b) as nearly as may be, one-twelfth shall be elected by electorates consisting of persons who have been for at least 3 years graduates of a University in the State and persons possessing for at least three years qualification prescribed by or under any law made by Parliament equivalent to that of graduate of any such university; (c) as nearly as may be, one-twelfth shall be elected by electorates consisting of persons who have been for at least 3 years engaged in teaching in such educational institutions within the State, not lower in standard than that of a secondary school as may be prescribed by or under any law made by Parliament; (d) as nearly as possible one-third shall be elected by the Members of the Legislative Assembly of the State from amongst persons who are not members of the Assembly; (e) the remainder shall be nominated by the Governor in the manner provided in Clause (5) of this Article.

- (4) the Members to be elected under Sub-Clause (a), (b) and (c) of Clause 3 of this Article shall be chosen in such territorial constituency as may be prescribed by or under any law made by Parliament and the elections under the said Sub-Clause and under Sub-Clause (d) of the said Clause shall be in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
- (5) the Members to be nominated by the Governor under sub-clause (e) of Clause 3 of this Article shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely, literature, science, art, co-operative movement and social services.

5. During the course of discussions in the Constituent Assembly, Dr. Manmohan Das of West Bengal suggested that:

“in Amendment No. 1 of List No. 1, (4th week) of amendments to amendments, sub-clause (b) of Clause 3 of the proposed Article 150, the words ‘for at least 3 years’ wherever they occur be deleted. He further said that he fails to understand what difference there shall be between a graduate who has taken a degree yesterday or a few days back and a graduate of 3 years standing. If the sponsors of this Article think that for maturity of the educational qualifications, an experience of at least 3 years should be there, 3 years experience will be insufficient and inadequate. There shall be at least 5 years experience in the maturity of the qualification of graduateship. He, therefore, suggested that the condition of 3 years standing for being registered in the voters list under Clause 3 (b) should be deleted.”

6. Shri V. I. Muniswamy Pillay of Madras gave notice “that in Amendment No. 1 of List No. 1 (4th week) of Amendments to Amendments in Sub-clause (d) of Clause 3 of the proposed Article 150, after the word “one-third” the words “including seats reserved for Scheduled Castes ‘may be prescribed’ is inserted”. He further said that the object of moving the amendment was to get representation for the Scheduled Castes in the Upper Chamber. He said that no mention has been made about representation of Scheduled Castes in the amendments moved by Dr. Ambedkar. Unless seats are reserved in the Upper House for Scheduled Castes, it will be impossible for the Members of the Scheduled Castes to get seats or adequate representation in the upper House.

7. Prof. K.T. Shah of Gujarat, said that there were several amendments on which he would like to seek the guidance of the Assembly. However, because of the new Schemes suggested by Dr. Ambedkar, all the amendments moved by him seemed to be irrelevant.

8. Shri S. Nagappa moved the following amendments:

- (a) that in Amendment No. 1 of List No. 1 (4th week) of amendments to amendments in the proviso to Clause (1) of the proposed Article 150 for the word “forty” the word “forty-five” be substituted;
- (b) that in Amendment No. 1 of List No. 1 (4th week) of amendments to amendments in sub-clause (b) & (c) of Clause 3 of the proposed Article 150, for the word “one-twelfth”, wherever it occurs the word “one-fifteenth” be substituted;
- (c) that in Amendment No. 1 of List No. 1 (4th week), of amendments to amendments in Sub-clauses (a), (b), (c) and (d) of Clause 3 of the proposed Article 150, the words “as nearly as may be” wherever they occur be deleted.

Provided that the total number of Members in the Legislative councils of a State shall in no case be less than 40.

8. Shri Nagappa further said that he was glad that representation had been given to teachers. Teachers had been silent sufferers all these years. They were the lowest paid in the whole world and their right to be represented in the Legislative council has been recognised.

9. **Shri H.V. Kamath** moved the following amendments:

- (a) that in Amendment 1 of List 1 (4th week) (that is to say the amendment now under consideration moved by Dr. Ambedkar), the proviso to clause (1) of the proposed Article 150 be deleted.

Provided that the total number of members for the Legislative Council of a State shall in no case be less than 40;

- (b) that in Amendment 1 of List 1 (4th week) in Clause (2) of the proposed Article 150, the words "unless Parliament by law otherwise provides" be deleted.
- (c) that in amendment 1 of List 1 (4th week) in Clause 5 of the proposed Article, the words "Co-operative movement" be deleted;
- (d) that in Amendment 1 of List 1 (4th week) in Clause 5 of the proposed Article, before the word "literature" the words "religion, philosophy" be deleted.

10. **Shri H.V. Kamath** stated that in some of the States, the Lower Chamber consist 60—70 members in a State where the Lower Chamber has not more than 60—70 members, it would be most undesirable to have an Upper chamber consisting 40 members. The original draft of Article 150 in the draft Constitution had no such provision and had fixed only an upper limit which was to the effect that it should not exceed one-fourth of the total strength of the Lower Chamber. It would not only be a luxury but an unnecessary drag upon the Lower House and if we once provided for a minimum of 40 Members, ten every tiny State could be engaged and instigated to ask for a Second Chamber. He further said that tiny State should not be encouraged to have a Second Chamber in their own States.

11. **Sri Brijeshwar Prasad** of Bihar opposed the Article stating that there was no reason why the total membership of the Legislative Council should be limited to one-fourth of the total number of the seats in the Legislative Assembly, subject to a minimum of 40 Members.

12. **Smt. Poornima Banerjee** said that she was happy that the teaching profession has also been associated. She also suggested that not only teachers of schools but also voluntary teachers should be included. In the new set-up, if education was to make any great advancement, we need help of able and qualified persons who would act as voluntary teachers. She, therefore, suggested that in the teaching profession, one should include voluntary teachers also.

13. **Shri V.S. Sarwate** of Madhya Pradesh stated that in Article 150, Clause 3 gives representation to university graduates. The wording the Clause as it raises some difficulties. The expression "consisting of persons who have been for at least 3 years graduates of a university in the State means that for graduates to be electors, two conditions are necessary:

"they must be firstly graduate of three years' standing and secondly the university must be in the State."

14. He stated that this would cause much difficulty. For instance, in Central India there is no university located. Therefore, any university graduate in Central India may not be able to vote under this Clause. He, therefore, suggested that against the words "any university", the words "in the territory of India" should be used.

15. **Dr. P.S. Deshmukh** stated that since one-third are going to be elected by the Members of the Legislative Assemblies themselves, they would most probably choose people like themselves. In other categories like those chosen by graduates and teachers, there is no likelihood that any of the best elements in society would be chosen. They were again likely to be of the same nature as Members of the Legislative Assembly. This Article seems to have been very hurriedly drafted.

16. He further desired to know why a secondary school teacher has been brought in far this privilege. If a secondary school teacher is lucky enough to find the place, why not include the primary school teachers also in the grant of this privilege. He felt that this was unfair to the primary school teachers. Secondly, when the Constituent Assembly is considering a graduate

as qualified person, to elect persons to the second chamber and also a secondary school teacher, how will it be possible to keep these people away from politics. He, therefore, felt that the Drafting Committee has not paid very careful attention to this side of the question.

17. The amendment proposed by various Members of the Constituent Assembly on Article 150 (now Article 171) were discussed and the motion moved by Dr. Ambedkar was finally adopted.

Observations of the Committee on the Debates of the Constituent Assembly

The Committee discussed the proceedings of the Debates of the Constituent Assembly and felt that teachers' representation in Legislative Councils was given on idealistic considerations. At that time, it was felt that the teachers were silent sufferers. Their salary was also very limited. In order to motivate them and to let them have a say in the nation building, including its law making process, they might have been given representation in the Legislative Councils.

2. The situation now-a-days, however, is entirely different. The teachers are now being represented in various fora. Their salary structures have improved and they are no more silent sufferers. Moreover, the teachers' representatives have not made any significant contribution towards improvement in their academic performance. On the other hand, generally there is a tendency towards seeking improvement in pay, promotion, pension and other service conditions. By extending voting rights to primary school teachers, it is feared that it would further politicise the issue and the system of education may suffer.

3. Initially, nine States, namely, Andhra Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, Maharashtra, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal, Karnataka and Jammu and Kashmir, and Legislative Councils. These Councils have since been abolished in the States of West Bengal on 1-8-1969, Punjab on 7-1-1970, Andhra Pradesh on 1-6-1985 and in Tamil Nadu on 1-11-1986. At present Legislative Councils exist only in five States, namely, Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra and Jammu and Kashmir. The Legislative Council of Jammu and Kashmir does not give any representation to teachers.

4. The Legislative Councils should have a minimum of 40 members. As such, only those States which have a membership in the Assembly of more than 160 members can have Legislative Councils. A statement showing the number of membership in the State Legislative Assemblies is at Appendix III. Even if the concept of Legislative Councils is revived, more than half of the States would not be able to have Legislative Councils and the anomaly in representation of teachers uniformly throughout the country would continue.

5. At the time of framing of the Constitution, more than 90 per cent of the schools were private schools and, as such, majority of the teachers were eligible to contest elections in the Legislative Councils. In the present scenario, more than 80 per cent of the schools have either been taken over by the State Governments or are being run by the local bodies. Being Government servants and bound by the Conduct Rules, they cannot contest elections. Only a small fraction of the total teachers population would be eligible to contest elections.

6. The nature and extent of politicisation of teachers through involvement in elections in the context of the constitutional provision for their representation in Legislative assemblies came up for discussion in its various aspects. An apprehension was expressed that extending voting rights to elementary teachers would further aggravate the situation. The sufferers would be the children in particular and the elementary education system in general. Such a situation would not be in accordance with the spirit of the provisions of the Constitution. It was noted that under

the provision of Graduates' Constituencies, even those who were not graduates could get elected. Similar situations could arise in case of teachers' constituencies as well. This would probably defeat the very purpose of these provisions.

7. There is a lot of logic and force in the argument that other professions in society also have an equally important role to play in national building. If doctors, lawyers, engineers, journalists, freedom fighters and the like ask for representation on the lines of teachers, they would be making a rational and logical point. Social, political and ethical implications of these aspects deserve to be examined in the context of extending the provisions of the Constitution regarding teachers. The Committee went into details of such implications, alternatives and consequences in the context of its terms of reference.

CHAPTER IV

PROCEEDINGS OF PARLIAMENT LEADING TO THE ABOLITION OF LEGISLATIVE COUNCILS IN THE STATES OF TAMIL NADU, ANDHRA PRADESH AND WEST BENGAL

The Committee also examined the proceedings of Parliament/Legislative Assemblies leading to the abolition of Legislative Councils of the States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and West Bengal. Proceedings leading to the abolition of Legislative Council in Punjab could not be made available. The summary of some of the relevant points raised in the Debates is given below:

Tamil Nadu

- (a) Law Minister said that Parliament is competent to abolish the Legislative Council of a State under Article 169 of the Constitution;
- (b) Shri Balu, M. P. from Tamil Nadu opposed the Bill on the grounds that it is politically motivated and its main purpose is to reduce the popularity of Dr. K. Karunanidhi;
- (c) Shri G. Swaminathan of Tamil Nadu stated that the Legislative Council had not served the purpose for which it has been set up and that other professions like doctors, engineers, etc., had not been represented in the Legislative Councils. He had further said that complete discretion was left to the Assembly whether to abolish the Legislative Council or not.
- (d) Shri Shyam Lal Yadav said that the Legislative Council was a truncated House and hence there was no point in keeping them alive and that there should be a uniform system throughout the country.

West Bengal

The Law Minister had said that under Article 169(1) of the Constitution, if the Legislative Council of a State passed a resolution providing for the abolition of Legislative Council of the State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council and with the required majority, Parliament might, by law, provide for the abolition or the creation of a Council as the case may be. No such law shall be deemed to be an amendment of the Constitution.

2. Dr. S.K. Tipuria said that the Upper Houses have been brought to a position of mere ridicule by Governments by converting them into abodes of defeated politicians and rejected Ministers and using the House as contraptions for bringing those men into Ministries who did not otherwise have the guts to face the electorate. He further said that as things stood these Upper Houses had not served the purpose for which they were once intended.

Andhra Pradesh

- (a) It is mandatory for Parliament to ratify a Bill passed by the State Legislature;
- (b) The Punjab Legislative Council (Abolition Bill) was passed on 25-7-63 and passed by Parliament in November the same year without any discussions;
- (c) Dr. B.R. Ambedkar during the discussions of the Constituent Assembly was not very enthusiastic about the Constitution of Legislative Councils. He had said that second Chamber in the States was being introduced purely as an experimental measure. He had further said that there would be sufficient provision for the amendment of the Constitution for getting rid of second Chamber. It was left to the people of the State to decide whether the second Chamber is necessary or not;

- (d) Abolition Bill passed by Parliament on 14-5-1985.

Discussions in the Committee on Abolition of Councils in States

- (i) The Legislative Councils are gradually being abolished in the States. As Legislative Council should have a minimum of 40 members, only States whose membership of the Assembly is more than 160 in number can have Legislative Councils. Consequently, even if the process of having Legislative Councils in States is revived, more than half of the States would not be eligible for having Legislative Councils and the anomaly in representation of teachers in the country will continue. In the Bihar Legislative Council, out of 62 members, nearly 20 are teachers, whereas there are only 8 seats from the teachers' constituency.
- (ii) In Bihar, there are two and a half lakh teachers with 65,000 primary schools which have been taken over by the State Government and as such, almost all the primary school teachers in Bihar are Government servants and are, therefore, not eligible to contest elections. As such, from the teachers' community, only retired teachers or those who are retired voluntarily can seek election and become Members of the Council, who are least concerned about improvement of academic performance of the teachers.
- (iii) The Committee considered the view that if voting right is given to primary teachers, they would also be politicised. So long as Councils exist, status quo should be maintained. It was pointed out that at present teachers are also members of the local bodies. Municipal Corporation and the multiplicity about voting rights will continue. One may not favour abolishing the existing democratic system but suggest improvement of democratic system as Legislative Councils are a part of the democratic system.
- (iv) Teachers' Representation in Legislative Councils at present is part of political approach and not on merit, as no outstanding teacher is straightaway elected to the Legislative Council.
- (v) There is no reason why there should be any special representation to teachers in Teachers' Constituencies. The whole thing should be abolished on practical ground.
- (vi) It generally emerged that the teachers' representation in the Legislative Councils was given for a noble cause but it had not worked well. In practice, it has served the political purpose, rather than any academic purpose. The situation at present is entirely different. Any State Government can give representation to teachers in the Committees at various levels concerning educational matters and the primary schools teachers now-a-days are mostly graduates.
- (vii) There is no question of differentiating between primary or secondary grade teachers. There are various avenues for teachers to be heard and, as such, there is no reason why teachers should be given any special status. Moreover, the Councils have lost their relevance and, as such, there should not be any provision for teachers' representatives in the Councils and we should start with clean slate.
- (viii) There should be no representation of teachers in Teachers' Constituencies as more than 80% of the teachers (as per Appendix V) would not be eligible for election being Government school teachers. Only private school teachers will be eligible to send their representatives.
- (ix) The Teachers' representation in the Legislative Councils has not been very satisfactory. If teachers are given any special privileges, these special privileges should also be given to freedom fighters, doctors and other professions. While due importance needs to be given to the democratic system, there should be no discrimination between one profession and the other.

CHAPTER V

VIEWS OF THE STATE GOVERNMENTS AND THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

State Governments' View:

It is noteworthy that over the years, State Governments have been changing their stand on this question. The Government of Bihar and Uttar Pradesh recommended the abolition of Legislative Councils in 1972. However, in 1977-78, all the four States having Legislative Councils, namely, Bihar, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra opposed the proposal. In 1978, Karnataka Government recommended abolition of teachers' constituencies altogether. The Uttar Pradesh Government have proposed extension of voting rights at elementary school teachers in June, 1982. The present position is that Karnataka and Maharashtra Governments have a recommended change in the Constitution to include voting rights to elementary school teachers. Bihar Government have stated that voting rights in Teachers constituencies in Legislative Councils may be extended to Primary school teachers also. Uttar Pradesh Government is not in favour of changing the status quo. A statement showing position of views expressed by State Governments from time to time is at Appendix IV.

Views of the Election Commission of India about Voting Rights to Elementary School Teachers in Teachers Constituencies in Legislative Councils:

Since 1957, the Election Commission has been pressing for the abolition of Teachers' Constituencies. In a Note dated 27-5-1957 to Ministry of Law (Department of Legal Affairs), the then Election Commissioner observed as follows:

"It is difficult to understand the reasons why teachers of secondary and higher secondary schools most of whom are graduates are given a separate functional representation in the Legislative Council while no such special treatment is given to the members of any other profession. The Commission has had many complaints that the teachers, the majority of whom are employees of Government or Government aided institutions, cannot vote freely at these elections and that pressure is brought to bear upon them from interested quarters. The Government of Madras have more than once recommended the abolition of these constituencies. The commission understands that the other State Governments who were consulted in the matter have also expressed similar views.

The Commission is accordingly of the opinion that the present position is anomalous and the special treatment given to teachers by providing separate constituencies for them should be discontinued"

2. But at that time, the Government did not accept this recommendation of Election Commission vide decision of the Government taken in its meeting held on 12-6-1957.

3. Again the Election Commissioner in a letter to Law Minister on 20-7-1960, reiterated his predecessor's view. In that letter, he observed as follows:

"Although Government did not accept this recommendation at that time, I feel that it deserves to be reconsidered. Apart from there being no justification for singling out the teaching profession for special treatment it seems to me undesirable that teachers should be dragged into party politics in this manner. The electorate itself is anomalous in that it includes teachers in the lower classes of secondary schools but excludes teachers in the same class of primary and middle schools. There is no strict definition of a secondary school in educational circle and State practice in this respect is also not uniform. There is the further anomaly that teachers in Government institutions are

disqualified for standing for election in these constituencies, but those serving in institutions not directly run by Government are eligible.”

4. In August, 1971, a specific reference was made to the Election Commission for obtaining their views afresh on the following points:—

- (a) whether the Election Commission is in favour of abolition of teachers' Constituencies in the Legislative Council of the States;
- (b) if the Election Commission is not in favour of the abolition of teachers' constituencies whether it is desirable to extend the voting rights to teachers of primary or elementary schools also.

5. The Election Commission had replied that there were no grounds for departing from the views expressed by them earlier. The Commission accordingly was still in favour of abolition of teachers' constituencies.

CHAPTER VI

OUTCOME AND RECOMMENDATIONS

As per the terms of reference set before the Committee, the Committee examined the petition of Tamil Nadu Teachers Federation regarding providing voting rights to elementary/primary/middle, etc. school teachers in the Teachers' Constituencies in the Legislative Councils wherever they exist. The committee observed that the petition pertained to the whole teaching community in the country. The Committee after studying the various documents have come to the conclusion that the position regarding the teachers' representation in the Legislative Councils has considerably changed now. During the discussions in the constituent Assembly, even Dr. Ambedkar had said that, the concept of the Legislative Councils itself as given at that time was on an experimental basis.

2. Teachers are now being represented in various other fora like Graduate Constituencies. The Committee felt that no person should have multiple constituency representation. If voting right is extended to primary school teachers, other professions like Doctors, Lawyers, Journalists, Engineers, Technocrats, etc. would also be entitled for similar representations. Further, it will be discriminatory and consequently violative of provisions made under Articles 14, 16 and 19 of the Constitution of India, viz. providing equal opportunities for all.

3. The Legislative Councils at present exist only in four States. In early 1950's most of the schools were privately run. The situation has entirely changed since then. At present, majority of the schools have been taken over by the State Governments and, as such, the teachers from these schools stand disqualified under Article 191 (1)(a) of the Constitution of India for election to the State Legislative Council from Teachers' Constituencies. The teachers employed by Local Bodies and also in other grant-in-aid institutions, though not disqualified either under the Constitution or under the Representation of the Peoples Act, 1951, the statutory disciplinary rules applicable to them prevent them from contesting for elections. Therefore, only a marginal number of teachers will be eligible to contest elections.

4. The anomaly of teachers' representation in Legislative Council elections will continue e.g. as per Article 171(3) (c) of the Constitution, a teacher working in primary section of a secondary school would be eligible to contest elections, whereas a teacher who is presently working in primary school is not eligible to contest the elections. In the present, time, there are substantial percentage of primary teachers who are graduates, who are entitled to exercise their franchise in the elections to Graduate Constituencies. Out of a total of 24.95 lakhs primary and upper primary teachers, as on 30-9-89, 20.18 lakhs teachers are working in Government or Local Bodies and only 4.77 lakhs teachers were working in aided and unaided private institutions who would be eligible to contest elections. In other words, even if the voting right is extended to primary school teachers in Legislative Councils, only 20% of the primary school teachers working in aided and unaided schools would be eligible and 80% of teachers will be deprived. There is little justification—legally or otherwise—for maintaining a distinction between teachers employed by Government and Local Bodies on the one hand and those employed in the private institutions on the other. Therefore, the Committee felt that by extending voting right to elementary school teachers will not in any way improve the situation or strengthen the democratic base.

5. Keeping the above facts into consideration and after analysing the experience of the last four decades and viewing the present situation, the Committee is of the opinion that retention

of the present provision regarding separate Teachers' Constituencies in Legislative Councils would invite similar demands dissensions and discontent from amongst other professional groups of society like Doctors, Lawyers, Journalists, etc. It is, therefore, *not* desirable to give preferential and discriminatory treatment to one section of society e.g. secondary school teachers. Even amongst them, about 80 % would remain excluded and only remaining would be able to contest.

6. The Committee, therefore, is of the opinion that there is no need to retain the present provision of separate constituency for teachers in Legislative Councils.

No. F. 3-11/91-PN. I

Government of India

Ministry of Human Resource Development

(Department of Education)

New Delhi, the 10th February, 1992

Order

Subject: CABE Committee on Teachers' Representation in Legislative Councils

The Central Advisory Board of Education (CABE) in its 46th meeting held on 8-9 March, 1991 decided that the Chairman, CABE should set up a CABE Committee on Teachers' Representation in Legislative Councils.

2. The Minister of Human Resource Development, in his capacity as Chairman of the CABE, has, therefore, set up the following committee:

- (i) Shri Veerappa Moiley Chairman
Minister of Education
Karnataka
- (ii) Shri Anant Rao Thopte
Education Minister
Maharashtra
- (iii) Shri Shiv Pratap Shukla
Minister of State (Independent charge)
for Basic and Adult Education
Uttar Pradesh
- (iv) Dr. Ram Chandra Purve
Minister (SE&PE)
Bihar
- (v) Shri P.V. Ranga Rao
Minister of State for Education
Andhra Pradesh
- (vi) Representative of Ministry of Law and Justice,
Government of India
- (vii) Shri Nikhil Chakraborty
Editor, Mainstream,
New Delhi.
- (viii) Dr. (Smt.) Saraswati Swain
Kalyan Nagar
Cuttack
- (ix) Prof. Moonis Raza
Chairman, Indian Council of Social Science Research
New Delhi.

(x) Dr. K. L. Chopra
Director,
Indian Institute of Technology
Kharagpur

(xi) Dr. J.S. Rajput
Joint Educational Adviser
Department of Education
Ministry of Human Resource Development
New Delhi

Member-Secretary

3. The Union Education Secretary and Director, NIEPA, will be permanent invitee to the meetings of the Committee.

4. The terms of reference of the Committee will be as follows:

To examine:

- whether retention of the present provision regarding separate teachers' constituencies in Legislative Council elections is at all desirable; and
- If so, whether the status quo should continue or whether the Constitution should be amended so as to include elementary teachers in teachers' constituencies.

5. The Committee should submit its report within two months of its first meeting.

6. The Committee will lay down its own procedures and methodology of work.

7. The secretariat assistance and other services to the Committee will be provided by the Teacher Education Division, Department of Education.

Sd/-.

(T. C. JAMES)

Under Secretary to the Government of India.

To

1. All members of the Committee and Permanent Invitees.
2. All members of C.A.B.E.
3. Education Secretaries of all State Governments and UT Administrations.
4. PS to HRM/PS to ES/PS to AS.
5. Director (TE).
6. All officers in the Department of Education.

APPENDIX I

Article 171 of the Constitution deals with composition of Legislative Councils. Sub-clause (1) states that the total number of members in the Legislative Council of a State having such a Council shall not exceed one-third of the total number of members in the Legislative Assembly of that State:

Provided that a total number of members in the Legislative Council of a State shall in no case be less than 40. Sub-clause (2) states until the Parliament by law otherwise provides, the composition of Legislative Council of a State shall be as provided in clause (3). Clause 3 of the Article 171 of the Constitution states that of the total number of members of the Legislative Council of a State:

- (a) as nearly as may be, one-third shall be elected by electorates consisting of members of municipalities, district boards and such other local authorities in the State as Parliament may by law specify;
- (b) as nearly as may be, one-twelfth shall be elected by electorates consisting of persons residing in the State who have been for at least three years graduates of any university in the territory of India or have been for at least three years in possession of qualifications prescribed by or under any law made by Parliament as equivalent to that of a graduate of any such university;
- (c) as nearly as may be, one-twelfth shall be elected by electorates consisting of persons who have been for at least three years engaged in teaching in such educational institutions within the State, not lower in standard than that of a secondary school, as may be prescribed by or under any law made by Parliament;
- (d) as nearly as may be, one-third shall be elected by the members of the Legislative Assembly of the State from amongst persons who are not members of the Assembly;
- (e) The remainder shall be nominated by the Governor in accordance with the provisions of clause (5).

The members to be elected under sub-clause (a), (b) and (c) of clause (3) shall be chosen in such territorial constituencies as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and the elections under the said sub-clauses and under sub-clause (d) of the said clause shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

The members to be nominated by the Governor under sub-clause (e) of clause (3) shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely, Literature, Science, Art, Cooperative Movement and Social Service.

History of Cabinet Decisions on Teachers' Constituencies (TCs)

Sl. No.	Date of Cabinet Note	Views as reflected in Cabinet Note		Law Ministry's proposal in the Cabinet Note	Cabinet Decision	
		of State Govts.	of Edu. Deptt.		Date	Gist
1	2	3	4	5	6	7
1.	1957	N.A.	N.A.	N.A.	12-6-57	Did not accept CEC reco. that TCs be abolished.
2.	11-6-64	7 out of 8 States supported abolition of TCs	Not reflected	TCs be abolished	17-6-64	Matter reconsidered, and brought up again, if necessary.
3.	03-3-65	CABE in Conf. of 10/64 endorsed abolition	EM, Shri Chhagla, supported CABE's view	Do.	1-4-65	Matter deferred.
4.	7-10-65	State EMs, in Conf. of 6/65, unanimously recommended abolition of TCs	No specific mention	Do.	14-10-65	Do.
5.	23-2-72	No mention except TN which proposed extn. of voting rights to ele. teachers	Status quo should remain	(i) Proposal for abolition may not be pursued further (ii) TN's proposal be rejected	3-4-72	(i) Approved (ii) Matter be further discussed with the Govt. of Tamil Nadu.
6.	31-8-77	Four States (UP, AP, Karnataka, Maha.) opposed extension proposal of TN. Bihar did not send views	Two contrary view (probably given on diff. occasions) reflected in the Note	TN's proposal be rejected	7-9-77	(i) Law Ministry's proposal for maintenance of status quo. (ii) Question of abolition be examined.
7.	17-2-79	Three States (AP, Bihar, Karnataka) favoured abolition of TCs, two (TN and Maha.) opposed, and one (UP) did not send views.	Did not favour abolition of Graduates' Consti.; no mention of views regarding TCs	Sought Cabinet directions on whether (i) abolition of TCs and GCs be considered together after seeking States views or (ii) consideration of the issues may be deferred for some time.	27-2-79	Status quo should continue in regard to TCs.

APPENDIX III

Statement showing number of Seats in State Legislative Assemblies

S. No.	Name of the State	No. of Seats
1.	Andhra Pradesh	294
2.	Assam	126
3.	Bihar	324
4.	Gujarat	182
5.	Haryana	90
6.	Himachal Pradesh	68
7.	J & K	76
8.	Karnataka	224
9.	Kerala	140
10.	Madhya Pradesh	320
11.	Maharashtra	288
12.	Manipur	60
13.	Meghalaya	60
14.	Nagaland	60
15.	Orissa	147
16.	Punjab	117
17.	Rajasthan	200
18.	Sikkim	32
19.	Tamil Nadu	234
20.	Tripura	60
21.	Uttar Pradesh	425
22.	West Bengal	294
23.	Arunachal Pradesh	60
24.	Goa	40
25.	Mizoram	40

Response from State Governments in regard to voting rights to elementary school teachers

1972	1977-78	1978
Bihar and U.P. recommended abolition of Legislative Councils	Bihar, U.P., Karnataka and Maharashtra all the four State Govts. have opposed the proposal	Karnataka Govt. recommended abolition of Teachers' Constituencies altogether
June, 1982	1991	1992
U. P. Govt. have proposed extension of voting rights to elementary school teachers	Karnataka and Maharashtra Govts. have recommended change in the Constitution to include voting rights to elementary school teachers. U.P. and Bihar are not in favour of changing the status quo.	Bihar Govt. is of the opinion that voting rights in Teachers' Constituencies in Legislative Councils may be extended to primary school teachers also.

Number and percentage of teachers by management as on 30-9-89

Management	No. of teachers by categories of schools (in lakhs)		
	Primary	Upper Primary	Total
1. Government	5.45	4.15	9.60
2. Local body	7.44	3.14	10.58
3. Private			
(a) Aided	1.30	1.80	3.14
(b) Unaided	0.74	0.89	1.63
(c) Total	2.04	2.73	4.77
Grand Total	14.93	10.02	24.95

Secretariat of the Committee on Teachers' Representation in Legislative Councils

1. Prof. J. S. Rajput
Joint Educational Adviser
Department of Education
Ministry of Human Resource Development
New Delhi.
2. Shri U. K. Sinha
Director
Department of Education
Ministry of Human Resource Development
New Delhi.
3. Shri D. P. Bhatnagar
Desk Officer
Department of Education
Ministry of Human Resource Development
New Delhi.
4. Shri N. A. Ganesan
Private Secretary
Department of Education
Ministry of Human Resource Development
New Delhi.
5. Shri Ravinder Singh
Personal Assistant
Department of Education
Ministry of Human Resource Development
New Delhi.
6. Ms. Veena Parchani
Stenographer
Department of Education
Ministry of Human Resource Development
New Delhi.

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE,
National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No..... D-9460
Date..... 06-03-97

